खण्ड–11, अंक–1
सोमवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1926
(19 जुलाई, 2004 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2004)

(खण्ड 11 में 7 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी, उत्तरांचल (भारत)
2004

मूल्य :

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति ...	...	क
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	...	1–36
नियंत्रक महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2001–2002, (उत्तरांचल सरकार) का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	...	36
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	...	36–37
उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	...	37
उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	...	37
उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	...	37
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	...	37
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित)	...	38
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	....	38–39

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्रीमती आशा देवी
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौल दास
12–श्री गगन सिंह
13–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14–श्री गोपाल सिंह राणा
15–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
16–श्री चन्द्रशेखर
17–श्री जोत सिंह
18–श्री तसलीम अहमद
19–श्री तिलक राज बेहड़
20–श्री तेजपाल सिंह रावत
21–श्री दिनेश अग्रवाल
22–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23–श्री नव प्रभात
24–श्री नारायण राम आर्य
25–श्री नारायण सिंह जंतवाल
26–काजी निजामुद्दीन
27–श्री प्रकाश पंत
28–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29–डॉ0 प्रताप बिष्ट
30–श्री प्रदीप टम्टा
31–श्री प्रीतम सिंह
32–श्री प्रीतम सिंह पंवार
33–श्री प्रेमानन्द महाजन
34–श्री फूल सिंह बिष्ट
35–श्री बलबीर सिंह नेगी
36–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
37–श्री बिशन सिंह चुफाल
38–श्री भगत सिंह कोश्यारी
39–श्री मदन कौशिक
40–श्री महेन्द्र भट्ट
41–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
42–श्री मातबर सिंह कण्डारी
43–श्री मालचन्द्र
44–चौ0 यशवीर सिंह
45–श्री रणजीत सिंह
46–श्री राम प्रसाद टम्टा
47–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
48–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
49–श्री शूरवीर सिंह सजवाण
50–डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
51–श्री सहजाद
52–श्री साधू राम
53–श्री सुबोध उनियाल
54–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
55–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
56–श्री सुरेश चन्द जैन
57–श्री हरबंस कपूर
58–श्री हरभजन सिंह चीमा
59–श्री हरिदास
60–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61–श्री हेमेश खर्कवाल
62–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2004 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 3.00 बजे अपराह्न अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

वन्दे मातरम्

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही "वन्दे मातरम्" से प्रारम्भ की जाती है।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्।।
फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

मैं, महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण को पढ़ कर सुना रहा हूं।

"माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण,

उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधान सभा के वर्ष 2003 के तृतीय सत्र में सदन के सुचारु रूप से संचालित करने एवं सकारात्मक प्रयासों के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उत्तरांचल अभी अपनी शैशवावस्था में है और यह आवश्यक है कि हम संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परायें स्थापित करने एवं बनाये रखने में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपने को प्रदर्शित कर सकें।

[***]

[2. मुझे इस बात का हर्ष है कि इस वर्ष सम्पन्न हुए लोक सभा के चुनावों को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पादित किया गया है।

3. उत्तराखण्ड आन्दोलन में अपने प्राणों की आहूति देने वाले पुरोधाओं एवं शहीदों के प्रति नमन व्यक्त करते हुए, मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि कलेक्ट्रेट परिसर, देहरादून में शहीद स्मारक निर्माणाधीन है तथा मुजफ्फरनगर, मसूरी एवं खटीमा

[***] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में भी स्मारक बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। आज भी उत्तरांचल के अनेक वीर सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र के गौरव एवं रक्षा के लिए बलिदान एवं शहादत दे रहे हैं। मैं इन सब वीरों को नमन करता हूं एवम् अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

4. जैसा कि मेरी सरकार ने राज्य के नाम के सम्बन्ध में पूर्व में कहा था राज्य का नाम उत्तराखण्ड किये जाने के विषय में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है।

5. मेरी सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान स्वरूप, उन्हें दी जाने वाली पेंशन को रु0 4171 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 4314 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है तथा केन्द्र की भांति राजनीतिक पेंशनधारियों को 1 अगस्त, 2003 से 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी भी सम्पादित कर दी गई है।

6. यह हर्ष का विषय है कि वर्ष 2002–2003 के लिए अनुमोदित धनराशि रु0 1534 करोड़ की वार्षिक योजना के सापेक्ष केन्द्रीय योजना आयोग से वर्ष 2003–2004 के लिए रु0 1607 करोड़ की वार्षिक योजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए मेरी सरकार द्वारा इस सत्र में वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। नव–गठित योजना आयोग से भी परामर्श कर वर्ष 2004–05 के केन्द्रीय बजट के प्रस्तावों व स्वीकृतियों के अनुरूप अनुपूरक कार्यवाही यथासमय सम्पन्न की जायेगी।

7. मेरी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 की वार्षिक योजना के आवश्यक प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग को प्रस्तुत करने हेतु तैयार कर लिये गये हैं और यह आशा की जा रही है कि योजना आयोग द्वारा यथाशीघ्र बैठक कर वार्षिक योजना का निर्धारण कर दिया जायेगा। यहां मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि 11वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और उस पर निर्णय उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व हो जाने के कारण अन्य विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों की भांति राजस्व घाटा अनुदान आदि के रूप में उत्तरांचल को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी थी, और वर्षानुवर्ष हमें केन्द्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के शीर्षस्थ स्तर पर लगातार पत्राचार एवं प्रयास किये गये हैं किन्तु स्थायी आधार पर निदान नहीं हो पाया है। इस वर्ष भी मा0 प्रधानमंत्री जी, मा0 केन्द्रीय वित्त मंत्री जी एवं मा0 उपाध्यक्ष योजना आयोग से पुनः अनुरोध किया गया है कि यथाशीघ्र समुचित अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जाय ताकि समय के अन्दर वार्षिक योजना के आकार के विषय में निर्णय हो सके। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 का वार्षिक आय–व्ययक प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि इसकी अनौपचारिक रूप से जानकारी हाल ही में प्राप्त हुई है, अतः इससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं के विवरण अभी राज्य सरकार से वार्षिक बजट में समावेश करना सम्भव नहीं हो पाया है। आगे विवरण उपलब्ध होने पर अनुपूरक मांगों के माध्यम से या आकस्मिकता निधि के द्वारा इन योजनाओं का समावेश किया जायेगा। इस सम्बन्ध में हमें एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

8. इस बीच 12वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार द्वारा अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और इसके माध्यम से जहां राज्य सरकार ने अपनी विशिष्ट कठिनाइयों के लिए सहायता मांगी है वहीं पर्यावरणीय दृष्टि से राज्य को अतिरिक्त

वित्तीय संसाधन आवंटन के लिए भी अपना पक्ष दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया है।

9. गत वर्ष सरकार द्वारा राज्य गठन से सम्बन्धित अनिस्तारित मामलों को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में समयबद्ध आधार पर निपटाने की बात कही गयी थी। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, यथा उत्तर प्रदेश वन निगम, तराई बीज एवं विकास निगम का विभाजन, चीनी निगम, पावर कारपोरेशन, जल विद्युत निगम, बीज प्रमाणीकरण, मण्डी परिषद्, समाज एवं सैनिक कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न निधियों एवं आस्तियों का विभाजन, होमगार्ड कल्याण कोष, पुलिस एवं आर्म्स फोर्सेज सहायता संस्थान कोष, सैनिक कल्याण निधि, पंचायतीराज की परिक्रामी निधि, व्यवसायिक परीक्षा कोष, युवा कल्याण निधि, मत्स्य विभाग की आस्तियां, पशुपालन विभाग की हेमपुर स्थित भूमि तथा हरिद्वार स्थित सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों का उत्तरांचल के पक्ष में हस्तान्तरण आदि सम्पन्न हुए हैं। कई अन्य प्रकरण अन्तिम चरणों में हैं और आशा की जा सकती है कि यथाशीघ्र इनका भी निस्तारण हो जायेगा। विभिन्न संवर्गों के विभाजन के सम्बन्ध में रुकी हुई कार्यवाही को आगे बढ़ाने और गति दिये जाने के प्रयास मेरी सरकार द्वारा किये गये हैं। फलस्वरूप प्रादेशिक सिविल सेवा व प्रादेशिक पुलिस सेवा से सम्बन्धित कार्यवाही राज्य स्तर से पूर्ण होकर केन्द्र सरकार को अंतिम आदेश हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है तथा लगभग सभी विभागों के विषय में पदों के विभाजन पर आपसी सहमति बन जाने के पश्चात कार्मिकों के आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। आशा है आगे भी इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य को पूर्णता प्रदान करने में गतिशीलता बनेगी।

10. लोक सेवा आयोग को सुदृढ़ किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न विभागों में आवश्यक पदों पर चयन की कार्यवाही में गति आई है और अब तक डाक्टरों, पशु चिकित्सकों, प्रवर वर्ग सहायकों, सहायक अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं तथा न्यायिक अधिकारियों के लगभग 1600 पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है।

11. मेरी सरकार स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लागू करके लोकायुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग का ढांचा भी स्थापित किया जा चुका है। प्रशासन में स्वच्छता लाने तथा विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अलग–अलग विभागों में मान्य संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्थायें भी की गयी हैं। आगामी वर्ष में तत्सम्बन्धी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के भी प्रयास किये जायेंगे।

12. सरकार एवं जनता के बीच संपर्क एवं जनता का लाभान्वित करने वाली सरकारी योजनाओं में उनकी सुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :

* राज्य सरकार द्वारा आई0आई0टी0, रुड़की के साथ एम0ओ0यू0 किया गया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं से

संबंधित फार्मों को सूचीबद्ध (डिजिटाइजेशन) किया जा रहा है, ताकि अन्ततोगत्वा आवेदन एवं स्वीकृति के कार्य इन्टरनेट के माध्यम से सम्भव हो सके।

* एक विश्वविख्यात कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन कर विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रयोजन हेतु स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था किये जाने के लिये पायलेट योजनायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

* इसी सन्दर्भ में एक योजना यू0एन0डी0पी0 से भी स्वीकृत कराई गयी है, जिसका क्रियान्वयन आई0आई0टी0, रुड़की के माध्यम से किया जा रहा है।

* उक्त के अतिरिक्त कई विशिष्ट क्रिया क्षेत्रों यथा कोषागारों राजस्व अभिलेखों तथा भूमि हस्तान्तरण आदि में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय क्रिया–कलाप यथा राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, परिवहन से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्राम्य विकास, शहरी विकास, समाज कल्याण आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।

13. प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के उद्‌देश्य से मेरी सरकार द्वारा राजकीय कार्य में तथा सामान्य लाभ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। राज्य मुख्यालय, राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय/आवास, विधान सभा तथा सचिवालय के कम्प्यूटरीकरण एवं नैटवर्किंग का कार्य, राज्य मुख्यालय, मंडल मुख्यालयों, जनपद मुख्यालयों के मध्य वीडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण और विकास खण्ड में कम्प्यूटर व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा जनपदों व अन्य जनपदीय विभागीय अधिकारियों से प्रभावी सम्पर्क बढ़ाया जा रहा है। सरकार एवं जनता के बीच सम्पर्क तथा जनता को लाभान्वित करने वाली सरकारी योजनाओं में उनकी सुविधाओं के लिए विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित फार्मों को सूचीबद्ध करने एवं विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोषागारों, राजस्व अभिलेखों, भू–अभिलेखों, भूमि के पंजीकरण एवं हस्तान्तरण के कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है।

14. सरकारी काम–काज में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अतिरिक्त आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में राज्य के युवा वर्ग को रोजगार प्रदान किये जाने के उद्‌देश्य से शैक्षिक क्षमता एवं दक्षता के विकास हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं यथा "आरोही" एवं "शिखर" प्रारम्भ की गयी हैं। विश्व विख्यात सूचना प्रौद्योगिकी संस्था "माइक्रोसॉफ्ट", "इनटेल", "सिस्को" एवं "आई0बी0एम0" के साथ एम0ओ0यू0 किये गये हैं। हिन्दी भाषा के विकास के लिए प्रदेश में प्रथम हिन्दी प्रयोगशाला तथा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एशिया की प्रथम आई0टी0 अकादमी की स्थापना की गयी है तथा दूसरी अकादमी की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं इस हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गयी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं इन्जीनियरिंग कालेजों में उच्च स्तरीय नैटवर्किंग प्रोफेशनल पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु स्थानीय 10 अकादमियां स्थापित

की गयी हैं। विश्व बैंक प्रयोजित ई–गवर्ननेन्स के क्रियान्वयन हेतु पी0एम0यू0 (परियोजना प्रबन्धन इकाई) तथा देहरादून में सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गयी है। इन सब योजनाओं के माध्यम से हमारे युवा वर्ग में रोजगार प्राप्त करने तथा उनकी कार्य क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

15. मेरी सरकार द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र में यह कहा गया था कि राज्य की नीतियों एवं प्रबन्धन व्यवस्था का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु यह होगा कि राज्य में अधिक से अधिक रोजगार एवं आय के श्रोतों का सृजन किया जा सके। इसके क्रम में विभिन्न दिशाओं में पहल की गयी है। सभी विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि उनके कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध हो सकने वाले विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों की समीक्षा इस प्रकार की जाये कि एक ओर, राज्य में विद्यमान स्थिति का सही आंकलन हो सके तथा दूसरी ओर ऐसी योजनायें चिन्हित की जा सकें, जिनके माध्यम से सर्वाधिक रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं, योजनावार/विभागवार रोजगार के लक्ष्य निर्धारित किये जा सकें तथा उनके क्रम में क्षमता विकास के सार्थक प्रयास किये जा सकें। इसके साथ–साथ, प्रथम बार राज्य के युवा वर्ग को राज्य के अन्दर एवं बाहर विभिन्न क्रिया क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकने वाले रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के लिए भी कार्य प्रारम्भ किया गया है और अब विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर गाइडेन्स एवं काउन्सिलिंग केन्द्रों के रूप में विकसित करने एवं विभिन्न माध्यमों से लगातार रोजगार के अवसरों की सूचना उपलब्ध कराने की संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रोजगार के मुख्यतः स्वरोजगार एवं निजी सेक्टर निवेश के माध्यम से स्थापित आर्थिक गतिविधियों द्वारा ही प्राप्त हो सकेंगे। अतः मेरी सरकार का यह प्रयास है कि विभिन्न सेक्टरों में अधिक से अधिक ऐसी परियोजनायें एवं योजनायें बनायी जायें, जिनसे राज्य के सकल घरेलू आय में वृद्धि के साथ–साथ राज्य में लोगों के लिए रोजगार एवं आय के अवसरों में भी वृद्धि हो सके।

16. इसी सन्दर्भ में संस्थागत वित्त पोषण, ऋण जमा अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि किये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में कई उच्च स्तरीय बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गयी हैं और इनमें बैंकों के माध्यम से उत्पादक योजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाये जाने पर बल दिया गया है। इन प्रयासों के चलते आशा की जा सकती है कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होगी।

17. भारत सरकार के विशेष प्रोत्साहन पैकेज के परिप्रेक्ष्य में मेरी सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 2003 गत वर्ष घोषित की गयी थी, इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा समन्वित कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराना है जिससे उद्यमियों को औद्योगिक विकास हेतु निवेश के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण सुलभ हो सके तथा इसके द्वारा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हों। राज्य सरकार की इस नीति एवं प्रोत्साहन पैकेज के फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगिक विकास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। मेरी सरकार उद्यमियों को उत्कृष्ट स्तर की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के अतिरिक्त, निजी, संयुक्त तथा सहकारिता क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के

विकास की दिशा में एक नई पहल मेरी सरकार द्वारा की गयी है। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रोत्साहन पैकेज की जानकारी देने एवं विचार विमर्श के लिए प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर औद्योगिक संगठनों एवं चैम्बर्स के साथ गोष्ठियां आयोजित की गयी। नई दिल्ली में प्रवासीय भारतीय सम्मेलन में भी राज्य में निवेश के प्रमुख सम्भावित क्षेत्रों का सफल प्रस्तुतीकरण किया गया। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार के विशेष प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश प्रारम्भ हो गया है और निवेशकों में देश के अत्यन्त प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह एवं उद्यमी सम्मिलित हैं। अब तक लगभग 500 उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है जिनमें लगभग 7500 करोड़ का निवेश होगा। शीघ्र ही उद्योगों में रु0 10 हजार करोड़ तक के निवेश को प्राप्त कर लिया जायेगा। मुख्य रूप में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक दवाईयां, कास्मेटिक्स, कन्ज्यूमर गुड्स, प्लास्टिक्स, आटोमोबाईल एवं आटोपार्ट्स, इलैक्ट्रिकल व इलैक्ट्रोनिक्स आदि में पूंजी विनियोजन हो रहा है।

18. मेरी सरकार द्वारा राज्य की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों तथा दुरूह, छोटी-छोटी एवं छितरी हुई आबादियों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं की कमी को दूर करने पर विशेष बल दिया गया है। भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण एवं अनिवार्य आर्थिक सुधारों के युग में राष्ट्रीय स्तर पर भी यह प्रयास किये जा रहे हैं कि इस प्रकार की सुविधाओं के विकास के लिए अधिक से अधिक संस्थागत एवं निजी सेक्टर निवेश प्राप्त किया जा सके। यह देखते हुए कि उत्तरांचल का अधिकांश भाग पर्वतीय है, ऐसी सम्भावनाएं, विशेषकर पर्वतीय मार्गों के सम्बन्ध में, तुलनात्मक रूप से सीमित हैं और हमें राज्य के बजट के माध्यम से बृहद स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। राज्य की योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

19. हमारे नव-स्थापित प्रदेश में प्रारम्भ में ही आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं को व्यापक रूप से स्थापित करना राज्य के सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा कुछ विशेष पहल प्रारम्भ की गयी है। हमारा प्रयास यह होगा कि प्रदेश में सड़क संयोजन के विस्तृत कार्य को साधनों की उपलब्धता के आधार पर समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करने की व्यवस्था की जाय। उर्जा, पर्यटन आदि आर्थिक विकास के आधारभूत क्षेत्रों में अधिकाधिक परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय एवं निजी क्षेत्र की पूंजी निवेश के लिए तैयार संस्थाओं/संगठनों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाय, नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं को और गहन तरीके से उपलब्ध कराया जाय, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो-टेक्नोलॉजी जैसे वर्तमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक सार्थक पहल की जाय तथा ग्राम स्तर पर अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ एवं नियोजित तरीके से समयबद्ध कार्यक्रमानुसार हर सम्भव सहयोग प्राप्त करके विकास किया जाय ताकि इन प्रारम्भिक वर्षों में कुछ गहन कार्य के पश्चात् प्रदेश का अवस्थापना-स्तर एक उच्चतम स्तर पर पहुंच सके। इस हेतु मेरी सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में कुछ नये प्रकार के प्रयास भी प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं, ऐसा करते समय कुछ अन्य प्रगतिशील प्रदेशों द्वारा

इस संबंध में की गयी पहल का अध्ययन करते हुए अपने प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति तथा आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखते हुए एक उचित अवस्थापना–परिकल्पना तथा इस हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन रोड मैप तैयार किये जायेंगे। इससे यह लाभ होगा कि नीतिगत व्यवस्था भी सुनिश्चित कराते हुए योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि के अतिरिक्त निजी क्षेत्र का भी सहयोग प्राप्त कर उक्त विभिन्न कार्यों हेतु अतिरिक्त साधन जुटाकर इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए एक उचित वातावरण तैयार हो सकेगा।

20. अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजनाओं के चिन्हीकरण एवं विकास के उद्देश्य से ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम, यू–डेक की स्थापना की गयी है। उत्तरांचल में भी जहां सम्भव हो, एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) विशेष आर्थिक क्षेत्रों आदि से सम्बन्धित परियोजनाओं के चिन्हीकरण एवं विकास के लिए इस संयुक्त उपक्रम के माध्यम से कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, जिसमें आशातीत प्रगति है।

21. प्रदेश के 13 जनपदों के रोड मास्टर प्लान मूलभूत रूप में बना लिये गये हैं एवं इसे डिजिटाईज करने की कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश की सड़क अवस्थापना के विस्तार पर सुदृढ़ीकरण हेतु वाह्य सहायता से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष कन्सलटेन्ट के माध्यम से कोर नैटवर्क चिन्हीकरण किये जाने हेतु कार्य आवंटित कर दिया गया है।

22. निजी संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त करने की दृष्टि से प्रदेश के प्रमुख मार्गों के उच्चीकरण और चौड़ीकरण हेतु बी0ओ0टी0 के माध्यम से तकनीकी एवं फिजीबिलिटी अध्ययन के लिए कन्सलटेन्ट का चयन कर लिया गया है।

23. तकनीकी कार्य को निष्पादित करने हेतु मानव संसाधन तंत्र को सशक्त किया गया है। पर्याप्त संख्या में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति की जा चुकी है एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

24. राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं युक्तिसंगत बनाने हेतु मेरी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की उत्तरांचल में स्थित आस्तियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। पृथक राज्य गठन के सन्दर्भ में राज्य का अपना कराधान सुधार अधिनियम पारित कर लिया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत कतिपय टैक्स की दरों में युक्तिकरण एवं राहत के प्राविधान किये गये हैं तथा उत्तरांचल राज्य परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना की गयी है। मार्गों पर गति नियंत्रण एवं अन्य यातायात नियंत्रण कार्यों के लिए 3 आधुनिक यंत्रों से युक्त इन्टरसैप्टर वाहन भी प्राप्त कर, सक्रिय किये गये हैं।

25. मेरी सरकार द्वारा राज्य में उपलब्ध विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत 5 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि टिहरी बांध परियोजना–प्रथम एवं द्वितीय चरण, कोटेश्वर बांध, धौली गंगा, मनेरी भाली (द्वितीय

चरण) तथा विष्णु प्रयाग एवं श्रीनगर आदि परियोजनाओं के माध्यम से 10वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 4170 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का विकास कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में कुल 3806 मेगावाट क्षमता के विकास पर भी कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं का विकास उत्तरांचल जल विद्युत निगम, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं यथा एन0टी0पी0सी0, एन0एच0पी0सी0 एवं टी0एच0डी0सी0 तथा निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से प्रस्तावित है। उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा वर्ष 2003–04 में पाला मनेरी (416 मेगावाट) परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया था। अब बवाला नन्द प्रयाग, आराकोट त्यूनी, त्यूनी पलासु तथा कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाओं पर चरणबद्ध ढंग से कार्य प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

26. 100 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं की निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से स्थापना के लिए मेरी सरकार द्वारा विस्तृत नीति प्रसारित की जा चुकी है। प्रथम चरण में इस नीति के अधीन पांच परियोजनाओं के लिए विज्ञापन जारी किये गये थे और इसके क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में 100 मेगावाट से न्यून क्षमता की नीति के अधीन दो परियोजनाओं को निविदा के आधार पर सफलतापूर्वक आवंटित किया गया था। इसी नीति के तहत राज्य के गठन के पूर्व से विचाराधीन 30 परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तावकों के साथ भी अनुबन्ध किए जा चुके हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण/विकास के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग हेतु कनाडा के साथ भैरोघाटी द्वितीय चरण (240 मेगावाट) परियोजना के लिए अनुबन्ध किया गया है।

27. वर्तमान में उत्पादनरत राज्य के स्वामित्वाधीन जल विद्युत परियोजनाऐं बहुत पुरानी हैं जिनसे जल विद्युत उत्पादन वृद्धि हेतु नवीनीकरण एवं उच्चीकरण के कार्य किये जाने आवश्यक हैं। छिबरो, खोदरी एवं चीला जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है जबकि अन्य विद्युत गृहों के संबंध में अवशेष जीवन हेतु आर0एल0ए0 अध्ययन किया जा रहा है ताकि तदुपरान्त उनके संबंध में भी नवीनीकरण एवं उच्चीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी। चीला विद्युत गृह के उच्चीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु कनाडा के साथ 27 जनवरी, 2004 को अनुबन्ध किया गया है।

28. मेरी सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधारों हेतु प्रयासरत है। गत वर्ष विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रथम टैरिफ आदेश से राज्य हेतु विद्युत दरें लागू की हैं जिन्हें प्रभावी किया जा चुका है। विद्युत अधिनियम, 2003 में वर्णित विधिक व्यवस्था के दृष्टिगत राज्य में विद्युत पारेषण तथा वितरण कार्यों को पृथक करने हेतु सरकार द्वारा पृथक पारेषण कम्पनी गठित कर दी गई है।

29. वित्तीय वर्ष 2003–04 में 454 गांवों एवं 570 तोकों का विद्युतीकरण किया गया जो गत वर्षों की प्रगति के सापेक्ष काफी अधिक है। वर्ष 2003–04 में कई वर्षों के अन्तराल के बाद निजी नलकूपों/पम्प सैटों के उर्जीकरण की योजना पुनः प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत 500 नलकूपों/पम्प सैटों का उर्जीकरण किया गया। 35185 बी0पी0एल0 परिवारों को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन निःशुल्क

दिये गये। यह योजना भी विगत कई वर्षों उपरान्त प्रारम्भ की गई। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार अभी 2347 गांव विद्युतीकरण हेतु शेष हैं जिनका विद्युतीकरण योजनाबद्ध रूप से वर्ष 2007 तक कर लिया जायेगा।

30. वित्तीय वर्ष 2003–04 में 132 के0वी0 उपकेन्द्र भूपतवाला का निर्माण किया गया। साथ ही 514 नये 11 के0वी0 उपकेन्द्रों व इनसे संबंधित लाइनों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त दो 220 के0वी0 उपकेन्द्रों, नौ 132 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं तीस 33 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि हुई। 400 के0वी0 उपकेन्द्र काशीपुर, 220 के0वी0 उपकेन्द्र रुड़की व पांच 132 के0वी0 उपकेन्द्र (रामनगर, रुद्रपुर, रानीखेत, सतपुली एवं सिमली) निर्माणाधीन हैं। नई औद्योगिक नीति के अनुसार उद्यमियों को सुचारु विद्युत आपूर्ति हेतु हरिद्वार एवं पंतनगर औद्योगिक क्षेत्रों में 220 के0वी0 क्षमता के उप संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। शहरों एवं ग्रामों के सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 के 46 उप संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही वितरण सिस्टम में सुधार, प्रत्येक संयोजन को मीटर युक्त करने तथा पुराने एवं खराब मीटरों के बदलने का कार्य भी किया जा रहा है।

31. उत्तरांचल में लगभग 15 हजार घराट अक्रियाशील/क्रियाशील अवस्था में स्थित हैं। अक्रियाशील घराटों का उपयोग विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में करने के उद्देश्य से परिचालित "उत्तरा बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र योजना" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा परिवर्तित दिशा निर्देशों के अनुसार आटा पीसने/मैकेनिकल पावर हेतु सुधारित घराट लगाने पर 30 हजार रुपये तथा विद्युत उत्पादन/बहुउद्देशीय कार्यों हेतु सुधारित घराट लगाने पर 1 लाख की धनराशि प्रति यूनिट अनुमन्य की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत लाभार्थी के अतिरिक्त ग्राम स्तरीय संस्थाओं यथा स्वयं सहायता समूह, वन पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा भी यह कार्यक्रम संचालित किये जाने की योजना है। उद्योग विभाग द्वारा घराट कार्यक्रम को उद्योग का दर्जा दिये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त अनुदान एवं ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक कुल 150 घराटों की स्थापना करायी जा चुकी है एवं 87 घराटों की स्थापना प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 9 जनपद स्तरीय माडल घराटों की स्थापना भी करायी जा रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य इस योजना के प्रति जन सामान्य को जागरुक करना एवं योजना के लाभों को प्रदर्शित कर प्रचारित करना है। सोलर फैंसिंग के द्वारा 124 किलोमीटर तक 35 गांवों में फेस लगाये जा चुके हैं और 51 गांवों में कार्य चल रहा है।

32. प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व की टिहरी बहु–उद्देशीय परियोजना के प्रभावित व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास का कार्य समय से सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार सहित समस्त स्तरों पर प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

33. राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुनियोजित आधार पर संचालित/विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के आच्छादन क्षेत्र के युक्तियुक्त प्राथमिकता निर्धारण के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में असिंचित क्षेत्र का अधिकांश भाग ऊंचे पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों के ढलानों में छोटे–छोटे टुकड़ों में स्थित है जहां जल संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" (ए0आई0बी0पी0)

योजना के अन्तर्गत कम कमान क्षेत्र वाली छोटी–छोटी योजनाओं यथा गूल, टैंक, हाईड्म निर्माण आदि के द्वारा असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा से आच्छादित किया जा रहा है। दूसरी ओर तराई/मैदानी असिंचित क्षेत्र को सिंचन सुविधा से आच्छादित करने के उद्देश्य से नये नलकूपों के निर्माण पर लगे प्रतिबन्ध को दो वर्ष के लिए हटाते हुए नाबार्ड से भी नलकूपों के निर्माण हेतु ऋण लिया जा रहा है। अतिवृष्टि, बादल फटने, भू–स्खलन एवं बाढ़ आदि की दैवीय घटनाओं से क्षतिग्रस्त होने वाली सिंचाई विभाग की नहरों, गूलों एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों को दैवीय आपदा राहत कोष सम्बन्धी मानकों में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

34. त्रि–स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्मित योजनाओं को पंचायतीराज संस्थाओं को चरणबद्ध रूप से हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन, रख–रखाव एवं कर निर्धारण/वसूली का अधिकार पंचायतीराज संस्थाओं/उपभोक्ता समूहों को शनैः–शनैः प्राप्त हो सकेगा।

35. राज्य सरकार के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबन्धन के अधीन जनपद हरिद्वार में क्षेत्र से सम्बन्धित परिसम्पत्तियां उत्तरांचल सरकार को हस्तान्तरित कर दी गयी हैं। शेष के सम्बन्ध में दोनों प्रदेशों के बीच विचार–विमर्श चल रहा है। आशा है कि यह प्रकरण शीघ्र निर्णित हो जायेंगे।

36. राज्य में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के अनुसार संस्थागत ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। गढ़वाल एवं कुमाऊँ जल संस्थान का संविलियन कर "उत्तरांचल जल संस्थान" एवं राज्य के लिए एक पृथक "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" का गठन किया जा चुका है।

37. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर के अन्तर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट की एक मांग आधारित परियोजना अप्रैल, 2001 से प्रारम्भ की गई है। यह परियोजना स्वजल परियोजना के सिद्धान्तों के आधार पर संचालित की जा रही है। परियोजना की कुल लागत रु0 40 करोड़ है जिसमें से भारत सरकार द्वारा रु0 37.50 करोड़ तथा ग्रामीण समुदाय द्वारा रु0 2.50 करोड़ वहन किया जायेगा। विगत वर्ष माह नवम्बर, 2003 से प्रथम बैच में 90 ग्राम पंचायतों एवं 3 वन ग्रामों में क्रियान्वयन चरण प्रारम्भ हो चुका है। योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2003–04 में रु0 655.43 लाख का व्यय ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से किया जा चुका है। 1 अप्रैल, 2004 से सेक्टर रिफार्म परियोजना को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वजल धारा II में नामित किया गया है। प्रथम बैच की समाप्ति के बाद स्वजल धारा II के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

38. समुदाय की सहभागिता के आधार पर भारत सरकार द्वारा घोषित स्वजल धारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद अल्मोड़ा एवं टिहरी हेतु उत्तरांचल जल संस्थान तथा जनपद देहरादून एवं नैनीताल के लिए उत्तरांचल पेयजल निगम एवं चमोली,

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ हेतु स्वजल परियोजना को कार्यदायी संस्था घोषित किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्वजल परियोजना द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के 3 ग्राम, जनपद बागेश्वर के 3 ग्राम, जनपद पौड़ी के 6 ग्राम एवं जनपद उत्तरकाशी के 4 ग्रामों का स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के अन्तर्गत चयन किया गया है व शुरुआती कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

39. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तरांचल के 13 जनपद सम्मिलित हैं। इसके क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा सहयोगी संस्थाओं एवं ग्राम पंचायतों के चयन की कार्यवाही की गयी है। इस परियोजना के अधीन व्यक्तिगत शौचालय, विद्यालयों में शौचालय निर्माण, नाली निर्माण, सोख्ता गढ्ढे, कूड़ा गढ्ढा, महिलाओं के लिए शुलभ शौचालय, ग्रामीण सैनिटरी मार्ट एवं उत्पादन केन्द्रों का निर्माण मुख्य है। इस कार्यक्रम के अधीन अभी तक सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से कुल 7597 शौचालय 5 जनपदों में निर्मित किये गये।

40. पेयजल उपलब्धता हेतु हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन प्राइमरी विद्यालयों में पेयजल सुविधा तथा पारम्परिक श्रोतों के पुनरोद्धार के कार्य प्रस्तावित हैं। हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन के लिए उत्तरांचल पेयजल निगम, ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा निदेशक तथा पारम्परिक श्रोतों के पुनरोद्धार के लिए उत्तरांचल जल संस्थान को कार्यदायी बनाया गया है।

41. जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के विशेष महत्व को देखते हुए राज्य में जलागम आधारित नियोजन, वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल संरक्षण के लिए निश्चित योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट एवं संस्तुतियों के क्रम में राज्य में उपलब्ध सभी स्रोतों का विस्तृत ब्योरा समयबद्ध आधार पर संकलित किया जा रहा है, ताकि इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाही की जा सके और गांववार न्यूनतम मूल्य पर स्थायी पेयजल व्यवस्था के नियोजन में भी मदद मिल सके। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम भी योजनाबद्ध ढंग से चलाये जाने की योजना है।

42. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तरांचल की विकट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत मेरी सरकार द्वारा हर जिले में बेस चिकित्सालय तथा तहसील स्तर पर 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में श्रीनगर (पौड़ी), हल्द्वानी (नैनीताल) तथा अल्मोड़ा में बेस चिकित्सालय कार्यरत हैं। लक्ष्य के अनुरूप चरणबद्ध ढंग से 3 वर्षों में 7 जिला चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण तथा 3 नये जनपदों रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत में जिला चिकित्सालयों की स्थापना प्रस्तावित है। यहां एक महत्वपूर्ण बिन्दु इन विभिन्न चिकित्सालयों में अतिरिक्त विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञताएं (स्पेशिलिटीज) उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित है जिनका चिन्हीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कतिपय चिकित्सालयों में विशिष्ट उपकरणों की भी व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में विश्व बैंक सहायतित उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत लगभग रु0 5 करोड़ की लागत से दून चिकित्सालय

एवं महिला चिकित्सालय, देहरादून का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है तथा बागेश्वर में जिला चिकित्सालय का निर्माण विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से कराया जा रहा है।

43. मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि गत माह फारेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। हल्द्वानी में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत रही है। इस दिशा में वर्तमान में त्वरित कार्यवाही की गयी है और वन ट्रस्ट चिकित्सालय, हल्द्वानी का विस्तार करते हुए इसमें 300 शैय्याओं तथा लेक्चर हॉल, लैब आदि की व्यवस्थायें की जा चुकी हैं और मेडिकल कालेज के प्राचार्य, आचार्य एवं प्रवक्ताओं आदि की नियुक्ति भी की जा चुकी है। मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है और उनकी रिपोंट के अनुसार आगे कार्यवाही गतिमान है। यहां मुझे कहते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार द्वारा श्रीनगर (पौड़ी) में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसके क्रम में वर्तमान अस्पताल के विस्तारीकरण व अन्य सुविधाओं के विकास के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। जौली ग्रांट में प्रातः स्मरणीय डॉ0 स्वामी राम मेडिकल कॉलेज सेवाओं का विस्तार कर रहा है। गुरु राम राय ट्रस्ट भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हेतु अग्रसर है।

44. विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, यथा क्षय नियंत्रण, कुष्ठ निवारण, एड्स नियंत्रण एवं अन्धता निवारण के सफल संचालन हेतु समस्त जनपदों में शीर्षस्थ समितियों का गठन किया जा चुका है, और सभी कार्यक्रमों का केन्द्र सरकार के साथ निकट ताल–मेल रखते हुए सूक्ष्म अनुश्रवण किया जा रहा है। राज्य के 5 जनपदों में इसे लागू कर दिया गया है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जन जागरण का कार्य किया जा रहा है। सुरक्षित रक्त प्रदान करने के लिए 11 जिला चिकित्सालयों तथा 6 भारत सरकार की चिकित्सा संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट माडल ब्लड बैंक की स्थापना तथा 4 स्थानों पर ब्लड बैंक की स्थापना की कार्यवाही कर ली गयी है।

45. राज्य में चिकित्सकों की गम्भीर कमी रही है, विशेषकर दूर–दराज क्षेत्रों में। इस समस्या के निदान के लिए गत वर्ष 148 चिकित्सक संविदा पर ऐसे क्षेत्रों में तैनात किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक महिला एवं पुरुष चिकित्सकों के चयन के पश्चात लगभग 145 चिकित्सकों द्वारा योगदान दिया जा चुका है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती हेतु चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ी हुई दरों पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) देने का निर्णय लागू हो रहा है। राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञों की भर्ती सुनिश्चित करने हेतु नियमावली बनाकर इस हेतु पृथक संवर्गीय एवं पदों की व्यवस्था कर दी गयी है।

46. इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में सचल सेवाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पोषित गैर सरकारी संस्था टाइफैक के माध्यम से कुमाऊं तथा गढ़वाल में एक–एक बहुउद्देशीय सचल डायग्नोस्टिक

वाहन की सुविधा स्थापित की गयी है तथा यूरोपियन कमीशन के माध्यम से भी सचल बहुउद्देशीय इकाइयां उपलब्ध कराये जाने पर भी कार्यवाही कर ली गई है।

47. पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में राज्य में टेली–मेडिसन सेवाएं स्थापित करने की दिशा में भी सरकार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद दो पाइलट परियोजनाओं के प्रस्ताव गठित किये जा चुके हैं।

48. उत्तरांचल के 33 बड़े राजकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से उनके प्रबन्धन हेतु संबंधित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पंजीकृत चिकित्सा प्रबन्धन समितियों के गठन की कार्यवाही भी की जा चुकी है, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं।

49. मेरी सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों के गम्भीर जीवन घातक बीमारियों के संबंध में विशेषज्ञ इलाज के लिए सहायता दिये जाने हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में "उत्तरांचल राज्य ब्याधि सहायता निधि प्रबंधन समिति" का गठन भी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है।

50. मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि उत्तरांचल राष्ट्र में पहला ऐसा राज्य है, जहां एक समेकित जनसंख्या एवं स्वास्थ्य नीति गठित की गयी है। अन्य बातों के साथ–साथ इसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक, युनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के सुनियोजित विकास एवं उन्हें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ जोड़े जाने पर बल दिया गया है। इसके क्रम में अन्य गतिविधियों के साथ–साथ जड़ी–बूटियों के विकास एवं प्रसार के लिए बनायी गयी रणनीति के साथ निकट समन्वय रखते हुए कार्यवाही की जायेगी। गत वर्ष में आयुर्वेदिक महाविद्यालय में संकाय व सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

51. शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में पूर्व से विद्यमान ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की कार्यवाही अपनायी जा रही है। मेरी सरकार की यह प्राथमिकता है कि राज्य स्तर से लेकर जिला एवं विकास खण्ड मुख्यालय के साथ–साथ न्याय पंचायत स्तर पर संकुल केन्द्रों को सुदृढ़ करके शैक्षिक प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की ओर कदम बढ़ाया जाय। इस कदम से शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी पर्यवेक्षण के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

52. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति तथा 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार से की जा रही है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक स्तर पर 1.5 से 2 कि0मी0 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 से 5 कि0मी0 से अधिक दूर न जाना पड़े। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 02 शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 03 शिक्षकों की व्यवस्था कर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। अक्षम बच्चों तथा अति छोटे

बच्चों को उनकी सुविधा के लिए उनके द्वार पर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा गारन्टी केन्द्र प्रारम्भ कर लिये गये हैं। विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण किया गया है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के लिए शौचालयों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है।

53. राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत 9.41 लाख बच्चों की शिक्षा परियोजनान्तर्गत तथा शेष सामान्य वर्ग के बालकों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई हैं। वर्ष 2004–05 में भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु समस्त प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों को विषयगत् कठिन विषय–वस्तु, बालिका शिक्षा एवं समेकित शिक्षा के सन्दर्भ में 10 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिया गया है और यह निरन्तर जारी है। आधुनिक युग की आवश्यकता तथा अंग्रेजी शिक्षण की बढ़ती मांग के मद्देनजर गत वर्ष के निर्णय के क्रम में प्रत्येक जनपद के एक विकास खण्ड तथा देहरादून जनपद के समस्त विकास खण्डों में कक्षा 1 से अंग्रेजी का शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। परिषदीय विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल के छात्रों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान एवं बोल–चाल को बढ़ावा देने के लिए दो जनपदों, चमोली एवं उत्तरकाशी में दूरवर्ती शिक्षा (डिसटैन्स एजूकेशन) कार्यक्रम भी आरम्भ किया जा रहा है।

54. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य को कम्प्यूटर की सहायता (कम्प्यूटर ऐडड लर्निंग) से और अधिक रूचिपूर्ण बनाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं विषयवस्तु आधारित सॉफ्ट वेयर उपलब्ध करा दिये गये हैं। इस हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ कर दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु 1363 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा असहाय एवं विशेष आवश्यकता वाले 4111 विकलांग बच्चों को एन0आई0वी0एच0 (नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ विज्यूली हैन्डीकैप्ट) एवं एन0आई0ओ0एच0 (नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्थोपैडिकली हैन्डीकैप्ट) के माध्यम से सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किये गये हैं। जिससे अन्य बच्चों की भांति यह बच्चे भी स्वालम्बी हो सकें। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी जनपदों में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एन0पी0ई0जी0ई0एल0 (नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एंड ऐलिमेन्ट्री लेवल) प्रारम्भ किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रत्येक असेवित विकास खण्ड में राजकीय कन्या हाई स्कूलों की स्थापना कर संचालन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत बालिकाओं की सुविधा हेतु पृथक से कॉमन हाल एवं शौचालय आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

55. प्रत्येक जनपद में प्रतिभा केन्द्र के रूप में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की स्थापना के लक्ष्य के तहत जनपद देहरादून में विद्यालय की स्थापना से शुभारम्भ करते हुए वित्तीय वर्ष 2003–04 में 04 अन्य जनपदों में विद्यालय के निर्माण कार्यों के लिए

आवश्यक धनराशि स्वीकृत/निर्गत की गई है। इन जनपदों में विद्यालय हेतु भवन निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्यालयों के संचालन की कार्यवाही की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में 04 जनपदों में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को मौसम विज्ञान की शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार की सहायता से यूप्रोब (उत्तरांचल पार्टिसिपेशन ऑफ यंगस्टर्स इन रियल टाइम आब्जर्वेशन टू बेनिफिट एजूकेशन) योजना 100 विद्यालयों में प्रारम्भ की गयी है।

56. सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू कर दी गई है जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के प्रीमियम की धनराशि का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उत्तरांचल राज्य में गठित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से विषय पाठ्यक्रम इस तरह से संशोधित किया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं के भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इस कार्य हेतु विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है। प्रदेश में प्रथम बार एक ही वित्तीय वर्ष में 108 जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर तथा 79 राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किया गया है, जिससे छात्र/छात्राओं की भौगोलिक दूरी कम होकर शिक्षा का उपयुक्त वातावरण उपलब्ध हेगा।

57. उच्च शिक्षा क्षेत्र में पूर्व की गयी घोषणा के अनुसार महाविद्यालय स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के आदेश गत वर्ष निर्गत किये जा चुके हैं। इसके साथ–साथ राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध करने हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अधिकृत करने के निर्देश भी गत वर्ष जारी किये गये हैं। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के 200 पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग उत्तरांचल द्वारा की जा रही है।

58. उत्तरांचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यह अनुभव किया गया है कि जहां एक ओर लगातार दूरस्थ क्षेत्रों में महाविद्यालय खोले जाने की मांग रहती हैं, वहीं संसाधनों की कमी, सक्षम अध्यापकों की अनुपलब्धता एवं पर्याप्त संख्या में छात्र उपलब्ध न होने से उत्पन्न वाइबिलिटि की समस्या के चलते ऐसे महाविद्यालयों में पर्याप्त गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः मेरी सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में एक–एक महाविद्यालय को, छात्रावास सम्मिलित करते हुए सभी सुविधाओं से युक्त, उत्कृष्टता के केन्द्र (सेन्टर ऑफ एक्सीलैन्स) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में चरणबद्ध ढंग से कार्यवाही की जा रही है।

59. राज्य में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त रहने की समस्या रही है। रिक्त पदों को भरने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है, और वर्ष 2003–04 में विभिन्न स्तरों के लगभग 6000 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शेष रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर ली जायेगी।

60. प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निकों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मूलभूत अवस्थापना सुविधा व उपकरण उपलब्ध करा कर सुदृढ़ करने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न संस्थानों में प्रचलित पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने तथा आधुनिक रोजगार बाजार के सन्दर्भ में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की दिशा में भी कार्यवाही की गयी है। इसके क्रम में राज्य की कतिपय पॉलिटेक्निक संस्थाओं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, संस्थानों में सूचना तकनीकी, कम्प्यूटर साइन्स एवं इन्जीनियरिंग तथा पर्यटन एवं होटल व्यवसाय से संबंधित नये रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। साथ–साथ तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को और रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से चिन्हित शिक्षण संस्थाओं में इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट कमेटी की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है जिससे इन संस्थाओं एवं औद्योगिक संस्थानों के मध्य निकट संबंध एवं समन्वय स्थापित हो सके। इस संबंध में एक राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया है। संस्थानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों एवं नियोजकों को आमंत्रित कर कैम्पस साक्षात्कार आयोजित करने की कार्यवाही भी की जा रही है। इस संबंध में देहरादून तथा नैनीताल में प्लेसमेन्ट ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

61. प्रदेश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च गुणवत्ता के रोजगारपरक एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार निजी सेक्टर के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करना चाहती थी। इस क्रम में मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि विख्यात संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार कर विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

62. राज्य में विद्यमान जैविक एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में मेरी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तथा विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् का गठन किया जा चुका है और इसके माध्यम से राज्य की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में विभिन्न प्रौद्योगिकी मिशन (टेक्नोलॉजी मिशन) चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ–साथ केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी निकट समन्वय स्थापित किया गया है ताकि केन्द्रीय योजनाओं का भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

63. जैव प्रौद्योगिकी (बायो–टेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के साथ गहन विचार–विमर्श के उपरान्त तैयार किया गया है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्णकालिक विशेषज्ञ की नियुक्ति भी की जा चुकी है।

64. राज्य में, और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, छितरी हुई जोतों का अधिक उत्पादक उपयोग सम्भव करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर चकबन्दी कराने की दिशा में कार्यवाही करने की घोषणा पूर्व में की गयी थी। इस संबंध में विस्तृत

विचार–विमर्श एवं अध्ययन हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसके द्वारा इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है। आशा है कि इस संबंध में यथाशीघ्र व्यवहारिक निर्णय सम्भव हो सकेगा। पृथक् से किसानों के क्रिया–कलापों को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से किसान जोत बहियां एवं किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि जैविक खेती कार्यक्रम को बढ़ावा दिए जाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में 5–5 गांवों का बायो–विलेज के रूप में चयन किया गया है। विकास खण्ड स्तर पर 95 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गये हैं, जिनके द्वारा 3795 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कृषकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में निरन्तर संवाद एवं परामर्श प्राप्त करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कृषक मित्र परिषद् की भी स्थापना की जा चुकी है। उत्तरांचल में बड़े पैमाने पर भूमि की अनियंत्रित क्रय–विक्रय को विनियमित करने हेतु जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया गया है।

65. मेरी सरकार द्वारा कृषि कार्यों में और लाभदेयता एवं उत्पादकता लाये जाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य में अभी तक 15 विकास खण्डों में विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना का संचालन किया जा रहा था। गत वर्ष प्रयास करके 12 अतिरिक्त विकास खण्डों में इनका विस्तार किया गया है। जून, 2004 में यह परियोजना पूर्ण हो गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि एवं औद्यानिकी की नकदी एवं अच्छी आय देने वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। कृषि उत्पादों के विपणन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, यथा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग व ग्रामीण हाठ–पैठ का निर्माण, आधुनिक कृषि विधियों के प्रसार की कार्यवाही कृषक समूहों की सहभागिता के आधार पर किया गया।

66. राज्य की परम्परागत फसलों, यथा रामदाना, राजमा, गहत, उगल, मडुआ, झिंगोरा, आदि की उन्नत प्रजातियों के विकास तथा जनक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय एवं विवेकानन्द पर्वतीय कृषि शोध संस्थान, अल्मोड़ा के सहयोग से कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत जनक बीज प्राप्त कर उनके संवर्धन की कार्यवाही राजकीय प्रक्षेत्रों में करते हुए कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जायेंगे।

67. जैविक खेती के प्रति बढ़ते हुए विश्वव्यापी रूझान तथा राज्य में इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए जैविक खेती को शीर्ष प्राथमिकता दी गयी है। 600 से अधिक गांवों में जैविक खेती का सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैविक खेती के प्रमाणीकरण का दायित्व प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण संस्था को सौंपा गया है। यह आई0एस0ओ0 9001–2000–आई0एस0ओ0–65 प्राप्त करने वाली देश की प्रथम बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था हो गयी है।

68. प्रदेश के सभी जनपदों में केन्द्र पोषित विशेष दलहन एवं तिलहन कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत अच्छी प्रजातियों के बीजों, कृषि यंत्रों, प्रशिक्षण तथा प्रचार–प्रसार की व्यवस्था व तकनीकी प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

69. कृषि उत्पादों के सुचारु विपणन हेतु मंडी समितियों के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, तथा किसानों को पूरे देश के बाजार भावों से अवगत कराने के उद्देश्य से 18 प्रमुख मंडियों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करके एग्री–नेट व्यवस्था की जा रही है। कृषि उत्पादों के लिए समुचित परिवहन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से मंडी क्षेत्रों में मार्ग विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा दुर्गम स्थानों पर रज्जू मार्ग (रोप–वे) स्थापित किये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है। मेरी सरकार द्वारा वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि विविधता के अध्ययन तथा सूक्ष्म नियोजन द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग तथा उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के दृष्टि से एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग एण्ड इन्फार्मेशन बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं चम्पावत को इस हेतु पाइलट फेज में चयनित किया गया है। कृषकों के लाभार्थ कृषि आय बीमा योजना को जनपद देहरादून में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है।

70. उत्तरांचल में पूर्व में दो जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत थे। मेरी सरकार के लगातार प्रयासों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 9 जनपदों में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से जैविक कृषि हेतु 23 लाख रुपये से नई शोध परियोजना प्रारम्भ की जा रही है तथा मिनिमिशन–1 के अन्तर्गत 71.9 लाख रुपये की सीड एवं प्लान्टिंग मैटिरियल से सम्बन्धित 14 नई परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं।

71. उत्तरांचल की सीमाओं के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में गन्ने का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.20 लाख हेक्टेयर है। पेराई सत्र 2003–04 में राज्य में स्थित 10 चीनी मिलों द्वारा कुल 394.79 लाख कुन्तल गन्ने की पिराई करते हुए 9.76 प्रतिशत चीनी परता प्राप्ति के साथ कुल 39.42 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। उत्तरांचल की चीनी मिलों द्वारा प्राप्त चीनी की औसत रिकवरी प्रतिशत अब तक की सर्वाधिक है। उक्त चीनी परता गत वर्ष की तुलना में भी लगभग 0.15 प्रतिशत अधिक है। चीनी मिलों का पेराई सत्र, सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कर प्रारम्भ किया जाना, लगभग 10 वर्षों में पहली बार सुनिश्चित किया गया। पेराई सत्र 2003–04 में देय गन्ना मूल्य रु0 350.27 करोड़ के सापेक्ष रु0 330.25 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। पांच वर्षीय गन्ना बीज बदलाव योजना के अन्तर्गत गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा विकसित दो नवीनतम उन्नतशील प्रजातियों को0 पन्त 94211 एवं को0 पन्त 96219 के प्रजनक बीज को अन्य स्वीकृत प्रजातियों के प्रजनक गन्ना बीज के साथ–साथ चीनी मिलों के क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया है। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग से जुड़े कार्मिकों को नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। गन्ने की पेडी के बेहतर प्रबन्धन के दृष्टिगत पेडी को कीटों से बचाव हेतु एवं उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा गन्ना पेडी फसल पर कीटनाशक एवं यूरिया के छिड़काव को बृहद अभियान के रूप में चलाया गया है।

72. उत्तरांचल में औद्यानिकी क्षेत्र का राज्य के आर्थिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में फलों एवं सब्जियों के अधीन क्षेत्रफल में

लगभग 25 हजार हेक्टेयर विस्तार करने की योजना है। इसको हार्टिकल्चर टेक्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा। राज्य में हार्टिकल्चर टेक्नोलोजी मिशन का शुभारम्भ 16 दिसम्बर, 2003 को किया जा चुका है तथा इस निमित्त पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। राज्य में विभिन्न औद्योनिक फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री एवं तकनीकी विधियों का प्रस्तर भी योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष अमेरिका से उन्नत सेब प्रजातियों की रोपण सामग्री आयातित करके चौबटिया एवं रानीचौरा में इसका रोपण किया गया है। इसके अलावा अलाभकारी राजकीय उद्यानों में से 60 उद्यानों को तकनीकी विपणन एवं प्रसार केन्द्रों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ संस्थाओं एवं कम्पनियों को लीज पर सौंपने के निर्णयान्तर्गत 44 अनुबन्ध पूर्ण कर लिये गये हैं। इसी के साथ-साथ 27 राजकीय उद्यानों को विभिन्न प्रजातियों के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में विकसित करने हेतु कार्य योजनाएं बनाकर क्रियान्वयन कर लिया गया है।

73. राज्य में लीची निर्यात क्षेत्र, पुष्प निर्यात क्षेत्र, जड़ी-बूटी निर्यात क्षेत्र एवं बासमती निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गयी है। लीची निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत 73 मै0 टन लीची का निर्यात, 376 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार, 7 पैक हाउस एवं 4 प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की गयी है। पुष्प निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत गुलाब, जरबेरा, लिलीयम, आर्किड आदि पुष्प के निर्यात के लिए 4 निर्यातकों के साथ अनुबन्ध किया गया है। जनपद नैनीताल के पदमपुरी से पहली बार 3 मै0 टन एशियाटिक लिली का निर्यात किया गया है। जड़ी-बूटी निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत धवन इन्टरनेशनल एवं इन्डोफाइटो कैमिकल्स के साथ प्रत्येक वर्ष लगभग 400 मै0 टन जड़ी-बूटी राज्य से खरीदे जाने के लिए अनुबन्ध किया गया। निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत चिरायता, जटामांसी, कुट, कुटकी, तगर, वन ककड़ी, लेवेन्डर, अतीस, कलिहारी, सर्पगन्धा आदि प्रजातियों के व्यापक कृषिकरण के लिए ठोस प्रयास किया जा रहा है। मदर डेयरी के माध्यम से जनपद उत्तरकाशी, देहरादून से लगभग रु0 265.56 लाख का टमाटर, बन्दगोभी, सगिया मिर्च, फ्रासबीन आदि का क्रय किया गया एवं रामगढ़ स्थित फैक्ट्री में 1.14 लाख किलोग्राम आडू प्लम, खुबानी, सेब का प्रसंस्करण कर 13.70 टन डिब्बा बन्द आडू, 40.30 टन जैम, 26.60 टन स्क्वैश व 17.6 टन टमाटर कैचप तैयार किया गया।

74. उद्यान विभाग के 11 शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्टाफ सहित हस्तान्तरण किया गया ताकि उद्यान सम्बन्धी शोध कार्यों को और अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली ढंग से सम्पादित किया जा सके। जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से ये एक प्लान्ट हैल्थ क्लीनिक (प्लान्ट हेल्थ क्लिनिक) एवं दो डिजीज एण्ड वेदर फारकास्टिंग यूनिट (डिजीज एण्ड वेदर फोरकॉस्टिंग यूनिट) की स्थापना की जा रही है। जनपद पौड़ी के भरसार में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्योनिक महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। माह दिसम्बर में पहला माली प्रशिक्षण कार्यक्रम महाविद्यालय में प्रारम्भ किया गया है। आगामी शिक्षण सत्र से द्विवर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

75. उत्तरांचल में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया। चाय के क्षेत्र में अब तक 327 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागानों का क्षेत्र विस्तार किया गया। (कौसानी 208 हेक्टेयर, नौटी 89 हेक्टेयर, घोड़ाखाल 11 हेक्टेयर एवं चम्पावत 19 हेक्टेयर) 400 काश्तकारों से भूमि दीर्घ कालीन लीज पर लेकर यह चाय बागान तैयार किया गया तथा उन्हें लीज रेन्ट के साथ–साथ अपनी भूमि पर रोजगार का अवसर दिया जा रहा है।

76. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा राज्य की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेषित जड़ी–बूटी विकास से सम्बन्धित 22 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है तथा बायो–टेक्नोलोजी विभाग, भारत सरकार द्वारा 50 हेक्टेयर भूमि में इलायची की विकास सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत की गयी है। जिरेनियम बिग पशु प्लान के तहत राज्य में कुल 12 सगन्ध पौध प्रसंस्करण इकाईयां लगाई जा चुकी हैं एवं सीमैप के माध्यम से 2 लाख जिरेनियम पौध कृषकों को वितरित की गयी हैं तथा 2.5 लाख पौध सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई में रोपण सामग्री तैयार करने हेतु लगायी गयी हैं। सगन्ध पौध केन्द्र, सेलाकुई के द्वारा लगभग 28 हेक्टेयर में सगन्ध पौध, भेषज संघ द्वारा 23 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि में, हापार्क (गढ़वाल विश्वविद्यालय) 4 हेक्टेयर में कुटकी, शेर संस्था द्वारा मोरी (उत्तरकाशी), 20 हेक्टेयर में कृषि करण किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा 1178 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 15 लाख आंवला, हरड़, बहेड़ा के पौधों का रोपण किया गया है एवं नर्सरियों में 24.47 लाख जड़ी–बूटी पौधों का विकास किया गया है।

77. मेरी सरकार ने रेशम और टसर उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इनमें से पहली बार रेशम एवं टसर वस्त्र का उत्पादन कर उत्तरांचल रेशम फेडरेशन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से विपणन किया जाना, 38 रेशम फार्मों को अनुरक्षण करने के लिए रेशम कीट पालकों के समितियों को दिया जाना, 222 स्वयं सहायता समूहों का गठन, 22 समूहों द्वारा सामुदायिक चॉकी कीट पालन का कार्य करना, प्रथम बार रु0 0.35 लाख के रेशम उत्पादकों का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व स्पेन का निर्यात, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रथमवार 800 लाभार्थियों को जैविक रेशम विकास का प्रशिक्षण, 25000 शहतूत पौधों का रोपण, 650 रेशम कीटपालकों के माध्यम से लगभग 100 मै0 टन रेशम कोया का उत्पादन, जिससे 12 मै0 टन रेशम धागा का उत्पादन सम्भव होगा। पर्वतीय क्षेत्र के 352 कीटपालकों के माध्यम से 31 लाख ओक टसर कोया का उत्पादन किया गया है जिसमें से 2881 किलोग्राम टसर धागा तैयार किया गया है। वन्य सिल्क को प्रोत्साहन दिये जाने के क्षेत्र में मेरी सरकार के विशेष प्रयास से पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा जून, 2004 को अब वन क्षेत्र में भी बांझ प्रजाति के वृक्षों को लगाने की विशेष अनुमति दी है।

78. केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (मिनिमम कॉमन प्रोग्राम) के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों व ग्रामीण रोजगार योजनाओं का पूनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए रखे गये महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की विशेष भूमिका है। इस संबंध में राज्य में

विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं यथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का सक्रियतापूर्व क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को, स्वयं सहायता समूहों के रूप में गठित कर, लाभान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है।

79. वर्ष 1999–2000 से संचालित ग्रामीण स्वरोजगार से सम्बन्धित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य में विद्यमान 3,76,502 बी0पी0एल0 परिवारों के सापेक्ष 50 प्रतिशत परिवारों के 18498 समूहों के गठन के लक्ष्य के सापेक्ष माह मई, 2004 तक 16997 समूह गठित किये जा चुके हैं जिसमें से 2174 समूहों के 29812 स्वरोजगारियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में संचालित विशेष परियोजनाओं यथा मशरुम योजना, टी0टी0डी0सी0–1, टी0टी0 डी0सी0–11, अंगोरा खरगोश, ग्रामीण शिल्प उत्पाद केन्द्र, मुर्गी पालन, केसर उत्पादन, फैशन डिजाइनिंग तथा औषधीय सगंध पादप के अन्तर्गत चयनित स्वरोजगारियों को प्रशिक्षणोपरान्त बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाना है। वर्ष 2003–04 में टिहरी जनपद के लिये एक विशेष परियोजना जिसकी लागत रु0 12.18 करोड़ है, औषधीय संगध पादप ग्राम विकास हेतु स्वीकृत हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष 5 विशेष परियोजनाओं के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। समूह एवं स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय हेतु 9 विपणन केन्द्रों का निर्माण माह मई, 2004 तक किया जा चुका है तथा 20 केन्द्र निर्माणाधीन हैं। इसी प्रकार एक ग्रामीण शिल्प केन्द्र का निर्माण हो चुका है तथा 16 निर्माणाधीन हैं। सभी वित्त पोषित स्वयं सहायता समूहों के बीमा आच्छादन योजना के अन्तर्गत 1819 समूह आच्छादित हो चुके हैं।

80. त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में 91.44 लाख मानव दिवस सृजित कर ग्रामीण क्षेत्रों में 36.77 स्थायी आर्थिक, सामाजिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया एवं रु0 9844.40 लाख का व्यय किया गया। साथ ही 32967 मै0 टन खाद्यान्न मजदूरी के रूप में श्रमिकों को वितरित कर सुरक्षा प्रदान की गयी।

81. डी0पी0ए0पी0/आई0डब्लू0डी0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत जल श्रोतों का संरक्षण/संवर्धन तथा पुनर्ऊर्जन एवं मृदा की उर्वरक शक्ति के संवर्द्धन हेतु संचालित इन कार्यक्रमों में वर्ष 2003–04 में 18956 हेक्टेयर क्षेत्र का आच्छादन किया गया जिसके अन्तर्गत भूमि एवं जल का संरक्षण तथा वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न किया गया है।

82. वर्ष 2003–04 में आवास विहीन बी0पी0एल0 परिवारों के लिए 19232 आवासीय इकाईयों का निर्माण/उच्चीकरण किया गया है।

83. प्रधानमंत्री सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की समस्त असंयोजित बसावटों को आबादी की वरीयता के अनुसार बारहमासी सड़कों से संयोजित करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु रु0 201.04 करोड़ से 164 मार्गों, जिनकी लम्बाई 796.02 किलोमीटर है तथा 4 सेतुओं के कार्य सम्पादित किये जाने हैं। माह मार्च, 2004 तक 87 मार्गों, जिनकी

लम्बाई 325.50 किलोमीटर है, को पूर्ण कर रु0 97.85 करोड़ व्यय किया जा चुका है। तृतीय चरण में 430.37 किलोमीटर लम्बे मार्ग, जिनसे 96 बसावटें संयोजित होंगी, का निर्माण किया जायेगा, जिनकी स्वीकृत लागत रु0 61.53 करोड़ है ग्राम्य विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में योजना के नियोजन स्वीकृति एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरांचल ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का गठन किया जा चुका है तथा तृतीय चरण के स्वीकृत कार्यों के सम्पादन हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

84. उत्तरांचल भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2.50 लाख भेड़ों में टीकाकरण, दवापान तथा दवा स्नान, नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1250 भेड़ों का निःशुल्क भेड़पालकों को वितरण, 300 भेड़पालकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, 5 बहुउद्देशीय केन्द्रों की स्थापना तथा मशीन द्वारा भेड़ों से ऊन उतारने की व्यवस्था उनके प्रवास स्थलों पर करने एवं ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग करायी जायेगी। इसके साथ-साथ भेड़पालकों के समूह गठित कर उन्हें नई तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का उद्देश्य भी सम्मिलित है।

85. चारा विकास योजना के सघनीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से पशुलोक, ऋषिकेश तथा पन्तनगर विश्वविद्यालय में दो चारा बैंकों की स्थापना कर दी गयी है तथा पूरे प्रदेश में 9000 कृषकों के लिए भूसा उपचारित प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है।

86. वर्ष 2003-04 में भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायता से पशु रोग उन्मूलन के लिए रु0 245 लाख की एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी थी, जिसके सापेक्ष भारत सरकार से रु0 169.82 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अन्तर्गत पल्स पोलियो की तर्ज पर पशुओं में होने वाले रोगों जैसे पी0पी0आर0, एफ0एम0डी0 आदि की रोकथाम हेतु टीकाकरण किया जाना प्रस्तावित है।

87. केन्द्र सरकार को पशु नस्ल सुधार व पशु चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से रु0 18 करोड़ की एक कैटल एवं बफैलो परियोजना भेजी गयी थी, जिसके सापेक्ष केन्द्र सरकार द्वारा रु0 6.5 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में लगभग 150 उन्नत नस्ल के सांड़ उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ सीमैन बैंकों के सुदृढ़ीकरण, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें सचल बनाने व चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की कार्यवाही की जा रही है।

88. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली के महत्वपूर्ण निर्णयानुसार जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थिति पांच जलाशय धौरा, बैगुल, तुमड़िया, बौर एवं नानकसागर की प्रबन्ध व्यवस्था 30 जून, 2004 से मत्स्य विभाग, उत्तरांचल के अधिकार क्षेत्र में आ गयी है तथा शारदा सागर जो दोनों राज्यों के मध्य स्थित है, की प्रबन्ध व्यवस्था दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, लखनऊ की 75 एकड़ में स्थित मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, हेमपुर (काशीपुर) उत्तरांचल मत्स्य पालन विकास अभिकरण, देहरादून को हस्तान्तरित की गयी है। उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के मध्य मत्स्य विभाग की आस्तियों के बंटवारे का कार्य पूर्ण हो गया है।

89. शीतजल मत्स्य विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से सम्पूर्ण उत्तरांचल में मत्स्य संशोधनों का सर्वेक्षण किया गया तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 90 रनिंग वाटर ट्रसेज व 25 रेसवेज एवं एक मत्स्य फीड प्लान्ट की स्थापना की गयी है। राज्य स्तरीय मत्स्य पालन विकास अभिकरण का सूत्रपात किया गया है। उत्तरांचल में मत्स्य पालन की सुचारु व्यवस्था करने के लिए उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 का प्रख्यापन 27 मई, 2003 को किया जा चुका है। उत्तरांचल में मत्स्यकी के समग्र विकास हेतु नैबकॉन (नाबार्ड) को कन्सलटेन्सी दी गयी है।

90. स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 9.5 करोड़ की क्रॉयलर कुक्कुट पालन परियोजना की भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में दो मदर फार्म–रुद्रपुर एवं पशुलोक–ऋषिकेश में स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट इकाईयों की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

91. रु0 6.83 करोड़ की समेकित भेड़ एवं ऊन विकास परियोजना अखिल भारतीय ऊन विकास परिषद् को भेजी गयी है और आशा की जा रही है कि इसकी स्वीकृति इस वर्ष मिल जायेगी।

92. समेकित डेयरी विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर दुग्ध संग्रह एवं कुलिंग क्षमता के विकास, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण की योजनान्तर्गत 30 हजार लीटर दैनिक क्षमता का डेयरी संयंत्र, लंढौरा, हरिद्वार में तथा 50 हजार लीटर दैनिक क्षमता का डेयरी संयंत्र खटीमा, ऊधमसिंह नगर में स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

93. उत्तरांचल में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेशन एवं मदर डेरी फूडस लि0 (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का उपक्रम) के मध्य एक संयुक्त उपक्रम "आंचल डेयरी फूड लिमिटेड" स्थापित किया गया है। संयुक्त उपक्रम पूरे भारतवर्ष में एक मात्र सहकारी क्षेत्र का सफल प्रयास है और इसके माध्यम से 95 हजार लीटर प्रतिदिन से अधिक का तरल दूध वितरण हो रहा है।

94. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहकारिता एक सशक्त माध्यम है। अतः राज्य में सहकारी गतिविधियों में व्यापकता एवं सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पूर्व में की गयी घोषणा के अनुसार विस्तृत एवं गहन अध्ययन के उपरान्त राज्य में अपना सहकारी समितियां अधिनियम तथा स्वायत्त सहकारिता अधिनियम अधिनियमित किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य यह है कि स्वच्छ एवं स्वायत्त सहकारिता को प्रोत्साहित किया जा सके और विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सहकारिता को एक सशक्त क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन व्यवस्था के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहायता से विभिन्न जनपदों में समेकित सहकारिता विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस समय यह परियोजना हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी एवं देहरादून में क्रियान्वित है। प्रत्येक जनपद की परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों आदि को अंशपूंजी व अन्य रूप में सहायता उपलब्ध कराके

सुदृढ़ करने और सहकारी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की कार्यवाही की जाती है। राज्य में शीर्ष स्तरीय सहकारी बैंक की स्थापना से संबंधित सभी कार्यवाही की जा चुकी है और पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकरी की नियुक्ति भी की जा चुकी है। रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के माध्यम से कार्य प्रारम्भ कराने हेतु लाइसेंस प्राप्त किए जाने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा बैंक की देहरादून एवं हल्द्वानी शाखाओं द्वारा कार्य शुरु कर दिया गया है।

95. उत्तरांचल में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं तथा पंचायतीराज संस्थाओं का गठन भी किया जा चुका है। 11वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 25 प्रतिशत मैचिंग अंशदान लगाये जाने का प्राविधान है। राज्य की अधिकांश छोटी–छोटी पंचायतों का कोई अन्य श्रोत न होने के कारण अपना अंशदान लगाने में समर्थ नहीं हैं। अतः उक्त 25 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट भी प्रदेश सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्तिकरण किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 29 विषय चिन्हित किये गये हैं। उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रथम चरण में 14 विषयों से सम्बन्धित प्रशासनिक दायित्व, कार्मिक एवं वित्त के अधिकार पंचायतों को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिशा निर्देश देते हुए शासनादेश जारी किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः कृषि एवं भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम, उद्यान, पशुपालन एवं प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभागों द्वारा शासनादेश जारी किये जा चुके हैं।

96. राज्य का लगभग 64.81 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के परिप्रेक्ष्य में मेरी सरकार ने यह निश्चय किया कि इसका लगभग 20 प्रतिशत सामुदायिक नियंत्रण एवं प्रबन्धन में लाया जाये। राज्य में इस समय 11000 वन पंचायतें गठित हैं, और 1270 ग्रामों में संयुक्त वन प्रबन्धन समितियां गठित की गयी हैं। नई वन पंचायतों का गठन एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। इसके क्रम में सिविल सोयम एवं वन पंचायत क्षेत्रों में वनीकरण का कार्य सीधे उक्त संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिक से अधिक वन पंचायतें महिला पंचायतों के रूप में गठित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, और नियमों में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि सामान्यतः वन पंचायतों के 9 सदस्यों में से कम से कम 4 महिलाएं होंगी।

97. व्यवसायिक वनीकरण के सन्दर्भ में वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 15 उच्च तकनीकी पर आधारित पौधालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें क्लोनल विधि से पौधे उगाने का कार्य किया जा रहा है। इस विधि से उगाई गयी युकेलिप्टस व शीशम की पौध का प्रयोगात्मक आधार पर रोपण किया जा रहा है।

98. इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों में समाज के लिए तथा लघु उद्योगों के विकास हेतु लाभकारी गैर प्रकोष्ठ (नान–टिम्बर) प्रजातियों, यथा बांस, रिंगाल, चारा घास तथा वानस्पतिक रेशा प्रजातियां, आदि के रोपण पर विशेष बल दिया जा रहा है। बांस एवं रिंगाल के महत्व को देखते हुए बांस व रेशा विकास परिषद् का गठन किया गया है और

अब तक 21 लाख से अधिक पौध रोपण हेतु तैयार की जा चुकी हैं।

99. प्रदेश में जड़ी-बूटियों तथा औषधि एवं सुगन्ध पौधों के संरक्षण एवं प्रसार के लिए वन विभाग द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है। इसके क्रम में लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि प्रजातियों का रोपण किया गया है और लगभग 30 पौधालयों में जड़ी-बूटी की पौध तैयार की जा रही है।

100. राज्य में विद्यमान विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षित क्षेत्रों के सन्दर्भ में वन जीव संरक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी विशेष व्यवस्थायें की गयी हैं। इनमें एलीफैन्ट कारिडोर की स्थापना के लिए कार्यवाही, विद्युत तार बाड़, प्रभावी गश्त एवं इस हेतु संसाधनों की उपलब्धता, और सम्बन्धित कर्मियों को शस्त्र, वायरलैस उपकरण, दूरबीन, हाई-एल्टिट्यूड किट, जैकेट, जूते आदि उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित हैं। राज्य की जैव-विविधता के संरक्षण के लिए पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक बाया डाईवरसिटी-कंजरवेशन सोसाइटी की स्थापना की जा चुकी है।

101. राज्य भर में फैले हुए वन क्षेत्र के कारण विभिन्न कार्यों में आने वाली कठिनाईयों के दृष्टिगत वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृतियों के प्रकरणों में गति एवं समयबद्धता लाये जाने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य के गठन से अब तक 265 मार्गों, 231 पेयजल योजनाओं, 29 सिंचाई योजनाओं, 13 विद्युत पारेषण लाईनों, 14 जल विद्युत परियोजनाओं, 9 खनन योजनाओं, और 207 अन्य प्रस्तावों पर स्वीकृतियां निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

102. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा वन विभाग के अन्तर्गत वन विश्राम भवनों तथा तत्सम्बन्धी संचार व्यवस्था के रख-रखाव और सुदृढ़ीकरण के लिए और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन विकास निधि करा गठन किया गया है। चिन्हित वन विश्राम गृहों को व्यवसायिक प्रबन्धन के आधार पर सीधे पर्यटन क्रियाओं से जोड़े जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है।

103. उत्तरांचल में पर्यावरण के संरक्षण हेतु आम लोगों में जागरूकता लाने की विशेष आवश्यकता है इसके लिए सभी दलों, वर्गों एवं पूरे समुदाय को एकजुट होकर एक अभियान के रूप में कार्य करना होगा। यहां हमारी प्राकृतिक धरोहर के, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, संरक्षण के अतिरिक्त शहरों में बढ़ते प्रदूषण और सामान्य रूप से प्लास्टिक व अन्य प्रकार के अवशेषों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करके क्रियाशील किया जा चुका है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में प्रारम्भिक तौर पर बैटरी चालित वाहनों को व्यापार कर एवं मार्ग कर से छूट भी प्रदान की गयी है। आगे आने वाले समय में इस महत्वपूर्ण विषय में और सार्थक प्रयास भी किये जायेंगे।

104. राज्य में औद्योगिक विकास हेतु गठित बहुउद्देशीय निगम सिडकुल में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं यथा स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, आई0सी0आई0सी0आई0, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, एल0आई0सी0 आदि जैसी संस्थाओ से निगम की अंश पूंजी में निवेश की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिससे एक

ओर यह निगम सर्वथा प्रोफेशनल संस्था के रूप में कार्य कर सकेगा और दूसरी ओर राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थाओं से औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को और अधिक मदद मिलने की आशा भी होगी। निगम द्वारा नये औद्योगिक पैकेज के सन्दर्भ में विभिन्न सम्भावित निवेशकों आदि के साथ सतत् सम्पर्क एवं विचार–विमर्श किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए भी हर्ष है कि वर्षों से जनपद पौड़ी (कोटद्वार) में ग्रोथ सेंटर स्थापित करने की आलंबित परियोजना को मेरी सरकार के सतत् प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार से स्वीकृति मिल गयी है तथा इसके लिये भूमि लेने का कार्य किया जा रहा है। हरिद्वार में बी0एच0ई0एल0 परिसर में लगभग 1500 एकड़ भूमि पर एवं पंतनगर में लगभग 3336 एकड़ भूमि पर एकीकृत औद्योगिक आस्थानों का विकास किया जा रहा है। देहरादून में आई0टी0 पार्क की स्थापना की जा रही है। देहरादून, पंतनगर एवं हरिद्वार में लघु उद्योगों हेतु एकीकृत अवस्थापना विकास केन्द्र (आई0आई0डी0सी0) की स्थापना के प्रस्तावों पर भी भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति मिलने की आशा है।

105. मेरी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने, उन्हें समुचित स्वरोजगारपारक योजनाओं एवं लघु उद्यम परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने, समुचित मार्गदर्शन एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण तथा नवउद्यमियों को आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित कर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है तथा जिला उद्योग केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार योजना में प्रदेश की उपलब्धि के अनुसार राज्य देश के अग्रणी राज्यों में है। गत वर्षों में मेरी सरकार ने विशेष प्रयास कर इस योजना के लक्ष्य 5000 से बढ़ाकर 6000 कराने में सफलता प्राप्त की थी। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष है कि वर्ष 2003–04 में हमारी उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 में भी हम योजनान्तर्गत सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करने हेतु तत्पर एवं आश्वस्त हैं।

106. उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसके क्रम में वर्षों से अक्रियाशील पड़े ऊनी एवं अन्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को पुनः क्रियाशील करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है। बुनकरों एवं छीपियों के प्रशिक्षण एवं उन्हें नये डिजाइन उपलब्ध कराने हेतु काशीपुर हथकरघा डिजाईन केन्द्र को सुदृढ़ किया गया है। राज्य में एक क्राफ्ट डिजाइन सेन्टर की स्थापना हेतु केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से एक परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से तैयार कराई जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र की स्थापना के अतिरिक्त राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के नियोजित एवं समेकित विकास के लिये दिशा एवं कार्य योजना तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त विपणन के लिए संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय की योजनान्तर्गत राज्य में लगभग रु0 2 करोड़ के निवेश से एक अरबन हाट की स्थापना की स्वीकृति भी प्राप्त की गयी है तथा इस परियोजना की रिपोर्ट ख्याति प्राप्त संस्थान इनटैक द्वारा तैयार की गयी है।

107. मेरी सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग क्रियाओं को प्रोत्साहित करके उत्तरांचल में स्वरोजगार के वातावरण को तैयार कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामोद्योग संस्थाओं के कार्यों को बढ़ावा देने हेतु उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया जिससे उत्तरांचल में खादी ग्रामोद्योग में कार्यरत उद्यमियों तथा श्रमिकों को मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष 2002–03 की तुलना में वर्ष 2003–04 में अधिक इकाइयां लाभान्वित की गयी हैं। स्थापित 447 इकाइयों को मार्जिन मनी सुलभ कराते हुए 2547 लोगों को रोजगार तथा ब्याज उपादन योजना के अन्तर्गत परम्परागत कारीगरों एवं उद्यमियों को कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 2003–04 में 173 उद्यमियों को उद्योग स्थापित कराते हुए ब्याज उपादान उपलब्ध कराते हुए 416 लोगों को रोजगार दिया गया। गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी कपड़ों पर छूट योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष 2002–03 के 90 दिनों में 25 प्रतिशत छूट के स्थान पर खादी कमीशन के परामर्श के अनुसार वर्ष 2003–04 के 108 दिन में 30 प्रतिशत की छूट लागू की गई। राज्य में खादी कार्यों में लगे काश्तकारों, बुनकरों के विकासार्थ खादी आयोग द्वारा स्वीकृत 39.00 लाख धनराशि से वूल बैंक की स्थापना करके 15.99 लाख की ऊन प्रसंस्करण की गई तथा बोर्ड के विभागीय केन्द्रों द्वारा वर्ष 2003–04 में 27.44 लाख के ऊनी वस्त्रों का उत्पादन कर 519 लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराया गया। खादी संस्थाओं के कारीगरों के उत्थान हेतु जनश्री बीमा योजना एवं खादी कामगार कल्याण कोष की स्थापना की गई। उत्तरांचल में रोजगार परक स्थानीय कच्चा माल आधारित नये–नये कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु खादी बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण का कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहा है।

108. मेरी सरकार राज्य में स्थापित रुग्ण उद्योगों के पुनर्जीवीकरण के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है। इसके क्रम में जिला स्तर पर बैंकर्स, उद्यमी एवं जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी बैठकर रुग्ण इकाइयों हेतु पुनर्जीवीकरण पैकेज बनाने का प्रयत्न करेंगे तथा इस कार्यवाही की समीक्षा जिला उद्योग मित्र एवं राज्य स्तरीय उद्योग मित्र में भी की जा रही है। राज्य स्तरीय अन्तर–संस्थागत समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है। रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में विधिक व्यवस्था बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

109. खनन क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से खनन किए जाने के उद्देश्य से खनिज एवं उप खजिन पदार्थों के खदान–चुगान से सम्बन्धित खनिज नीति का पुनरीक्षण करके संशोधित खनिज नीति प्रख्यापित की जा चुकी है। उप खनिज बाहुल्य क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण एवं मानचित्रीकरण का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है, जिससे अपरिहार्य भाटक निर्धारण एवं चुगान क्रियाओं के आवश्यक विनियमन एवं नियन्त्रण में भी सहायता मिलेगी। उप खनिजों के अतिरिक्त राज्य की अन्य खनिज सम्पदा के विकास एवं उस पर आधारित उद्योगों की स्थापना के विषय में नियोजित रूप से कार्यवाही करने के उद्देश्य से एक सलाहकार समूह गठित किया गया है। प्रदेश में खनिजों / उप खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने हेतु मेरी सरकार विधिक व्यवस्था सक्रिय रूप से कर रही है इसके अतिरिक्त पहले से विद्यमान विधिक व्यवस्था द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण को

रोकने की कार्यवाही भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा की गई है जिसके फलस्वरूप राजस्व में आशातीत वृद्धि हुई है।

110. वर्तमान में सिडकुल द्वारा पन्तनगर में लगभग 3336 एकड़ भूमि में एवं हरिद्वार बी0एच0ई0एल0 के समीप 1500 एकड़ भूमि में एकीकृत औद्योगिक आस्थान विकसित किया जा रहा है। अब तक पन्तनगर में 30 उद्यमियों को 114.19 एकड़ भूमि एवं हरिद्वार में 313 उद्यमियों को 376.69 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। दोनों स्थानों में भूमि का मूल्य रु0 560 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। उक्त दोनों औद्योगिक आस्थानों के अन्तर्गत उच्च स्तरीय अवस्थापना कार्य कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। 10 माह के अन्दर दोनों आस्थानों के कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे एवं उद्यमियों को उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

111. उत्तरांचल को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करने हेतु मेरी सरकार द्वारा उल्लेखनीय पहल की गई है। सर्वप्रथम नीति निर्धारण, द्वितीय चरण में नियोजन व तत्पश्चात पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को धरती पर क्रियान्वित करने की रणनीति उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् द्वारा अपनायी गयी। इस रणनीति के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया। उत्तरांचल को देश के एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्य के रूप में उभारने के लिये प्रचार–प्रसार के कई साधन अपनाये गये। नवीन पर्यटन गन्तव्यों को विकसित करने का प्रयास प्रारम्भ किया गया। निजी पूंजी निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति अपनायी गयी। केन्द्र सरकार से विशेष पहल करते हुए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। पर्यटन को रोजगार के साधन के रूप में विकसित करने हेतु एक महत्वाकांक्षी स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गयी। पर्यटकों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के भी अनेक कदम उठाये गये। चारधाम की व्यवस्थाओं को एक सुदृढ़ व व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। परिणामस्वरूप उत्तरांचल को केरल के साथ–साथ देश के एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्य के रूप में पहचान प्राप्त हुई। गत वर्ष 130 लाख पर्यटक इस प्रदेश में आये व इस संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। चारधाम में भी यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। मेरी सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में उठाये गये कदमों की सराहना विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव द्वारा भी की गयी है व गत वर्ष केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

112. प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय एवं ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य गठन के उपरान्त सुविचारित रणनीति बनायी गयी है, उसके सार्थक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित हेमपुर में कार्बेट कन्ट्री योजना के नाम से तैयार किये गये मास्टर प्लान के अनुरूप देशी व विदेशी निवेशकों के एक समूह द्वारा रु0 500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के अनेक पूंजी निवेशकों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। पर्यटन विभाग द्वारा दयारा उत्तरकाशी में स्की रिजॉर्ट, चारधाम महायोजना, पौड़ी–लैन्सडाउन–खिर्सू एवं पिथौरागढ़–मुन्स्यारी नये पर्यटन

परिपथों का विकास, ट्रेकिंग महायोजना, हवाई पटि्टयों का विकास जैसी महायोजनायें तैयार कर निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

113. राज्य सरकार द्वारा की गयी सुनियोजित कार्यवाही को समर्थन देते हुए केन्द्र सरकार द्वारा भी राज्य में पर्यटन विकास हेतु महत्वपूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा हरिद्वार व ऋषिकेश में सौन्दर्यीकरण व अन्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु लगभग रु0 4 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं जिनका निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध संस्थान की स्थापना हेतु रु0 6.7 करोड़ की योजना, अल्मोड़ा में उदय शंकर संगीत एवं नाट्य अकादमी हेतु रु0 7 करोड़ की योजना, जागेश्वर धाम, पीपलकोटी, एवं नैनीताल जनपद की झीलों के सौन्दर्यीकरण की योजना स्वीकृत की गयी है जिन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

114. राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से भी पर्यटन के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भी अनेक महत्वपूर्ण योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। पर्यटकों को उच्च स्तर की मार्गीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन सुविधा केन्द्र/पर्यटन सूचना केन्द्र के रूप में प्रथम चरण में प्रदेश में 44 स्थलों पर मार्गीय सुविधाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है। 400 से अधिक स्थानों पर पर्यटन सूचनापट लगाये गये हैं।

115. निकट भविष्य में राज्य को ईको पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित किये जाने एवं ईको पर्यटन एवं ग्राम्य पर्यटन तथा कैम्पिग साईट्स आदि के विकास हेतु वृहद योजना तैयार कर ली गयी है। प्रदेश में रोप–वे एवं अन्य बड़ी अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजना तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी गयी है।

116. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार के नाम से एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना प्रारम्भ कर दी गयी है। अब तक 215 परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिन पर लगभग 10.00 करोड़ रुपये का बैंक ऋण व 2.5 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान अवमुक्त किया जा चुका है। इन योजनाओं के अधीन लगभग 600 बेरोजगारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है। इस वर्ष इस योजना में और अधिक उद्यमियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। ऋण प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में ऋण मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है।

117. पर्यटन व्यवसाय में प्रशिक्षित एवं सुशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। इस दृष्टि से असंगठित क्षेत्रों यथा ढाबा कार्मिक, टैक्सी वाहन चालक, गाईड आदि पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण की योजना तैयार की जा रही है एवं इस वर्ष इस योजना को भी प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

118. मेरी सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को सुनियोजित रूप से विकसित करने एवं उत्तरांचल को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं व इन प्रयासों की सराहना अनेक स्तर यथा–विश्व पर्यटन संगठन, केन्द्र सरकार व योजना आयोग द्वारा भी की जा चुकी है।

119. उत्तरांचल की लोक कला, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण, विकास एवं प्रसार हेतु कार्यवाही पर्यटन गतिविधियों के साथ समन्वय रखते हुए की जा रही है। विभिन्न पर्यटन मेलों आदि के माध्यम से राज्य की इस धरोहर का विस्तृत प्रसार किया जा रहा है जिससे स्थानीय स्तर के लोक कलाकारों को काफी प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर होने वाले मुख्य मेलों को भी बढ़ावा देने की कार्यवाही की गयी है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें सीधे पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जा सके। राज्य में स्थित विभिन्न हैरिटेज स्थलों के चिन्हीकरण की कार्यवाही इन्टैक के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी है, ताकि इनका योजनाबद्ध ढंग से संरक्षण एवं विकास हो सके। इसके साथ–साथ राज्य में पूर्व से चिन्हित पुरातत्व स्थलों के विकास के संबंध में रु0 1.67 करोड़ की योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गयी है। राज्य के कलाकारों, विद्वानों एवं लोक कला से जुड़े व्यक्तियों के सहयोग से कला एवं संस्कृति के सुनियोजित विकास किए जाने की दृष्टि से मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तरांचल संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद् का गठन किया गया है तथा इसमें 18 विशेषज्ञों को नामित भी किया गया है।

120. जैसा माननीय सदस्य अवगत हैं, वर्ष 2004 में हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेला भी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। यथा सम्भव स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों का सृजन मेला अवधि में किया गया है ताकि आगामी वर्षों में भी इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। कुम्भ मेले की सुव्यवस्था हेतु अनन्त कुम्भ निधि की भी स्थापना की गयी है।

121. राज्य के आर्थिक–सामाजिक ढांचे में महिलाओं की विशेष भूमिका एवं योगदान के दृष्टिगत विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष रूप से लाभान्वित करने, तथा महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसके सन्दर्भ में विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की जा रही है ताकि महिलाओं को प्राप्त हो सकने वाले लाभों और उनमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतिगत बिन्दु चिन्हित किये जा सकें, और एक निश्चित कार्य योजना गठित कर कार्यवाही की जा सके।

122. राज्य के गठन के समय समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के अन्तर्गत मात्र 54 विकास खण्ड आच्छादित थे। अब भारत सरकार द्वारा समस्त अवशेष विकास खण्डों के लिए परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है। इसके क्रम में विशेष अभियान चलाकर पूर्व से रिक्त तथा नये पदों के सापेक्ष इस वर्ष लगभग 1800 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की जा चुकी है, और सभी केन्द्रों को क्रियाशील करने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा आई0सी0डी0एस0–III परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इसके अन्तर्गत आवश्यक कार्य योजना गठित करके भारत सरकार को भेजी जा चुकी है।

123. महिला एवं बाल विकास योजना के अतिरिक्त राज्य में महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक अन्य केन्द्र पुरोनिधानित योजनाए यथा स्वयंसिद्धा परियोजना (11 विकास खण्डों में), स्वशक्ति परियोजना, किशोरी शक्ति परियोजना, बालिका समृद्धि योजना तथा "उदिशा" प्रशिक्षण परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत

महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आर्थिक लाभ की योजनाएं उपलब्ध कराने, सशक्तीकरण एवं प्रशिक्षण तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं आर्थिक लाभ की योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

124. मेरी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहल करते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए विशेष बीमा योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में रु0 50 हजार और अन्यथा मृत्यु की दशा में रु0 20 हजार की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

125. युवा पीढ़ी के हितार्थ क्रियाओं में विस्तार एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में 10 स्टेडियम निर्मित हैं, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी में स्टेडियम निर्माणाधीन हैं तथा अगस्तमुनि (रुद्रप्रयाग) में जनपद स्तरीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण हेतु रु0 50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार की अपनी योजना तथा केन्द्र सरकार के सहयोग से स्टेडियमों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। देहरादून में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना के लिए लगभग रु0 5.8 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी है। राज्य सरकार द्वारा इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम/काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक तौर पर पूर्व अनुमोदित योजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

126. प्रतिभावान एवं क्षमतावान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने व अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिये जाने हेतु कई कार्यक्रम चलाए गये हैं एवं विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया गया। देहरादून एवं हल्द्वानी में पूर्व से संचालित फुटबाल केन्द्रों के अतिरिक्त पिथौरागढ़ में आवासीय एथलेटिक्स छात्रावास एवं कोटद्वार में आवासीय बाक्सिंग छात्रावास खोले गये हैं। राज्य के सभी जनपदों में 98 प्रशिक्षण शिविर भी संचालित किये जा रहे हैं। खेल विभाग ने खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण योजना संचालित की है। इस योजना से लाभान्वित अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश एवं राष्ट्र का नाम गौरवान्वित किया है।

127. राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक सामाजिक उन्नयन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के कल्याण एवं विकास की परियोजनाओं के संचालन के लिए राज्य में स्थापित बहु उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से इस वर्ष 4281 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक लाभ की योजनाओं के लिए ऋण एवं अनुदान के रूप में लगभग रु0 575 लाख की सहायता प्रदान की गयी है।

128. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए राज्य में इस समय क्रमशः 15 एवं 5 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। सामान्य रूप से इनकी स्थिति काफी चिन्ताजनक थी और अनेक विद्यालय सर्वथा अपर्याप्त किराये के अथवा अन्य भवनों में स्थापित चल रहे थे। इस वर्ष जनपद देहरादून, पिथौरागढ़ एवं चमोली में स्थित 9 आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन बनाने हेतु स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। इसी प्रकार कतिपय विद्यालयों में उपलब्ध सामग्री एवं सुविधाओं, यथा बर्तन, कम्बल, फर्नीचर आदि के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। काफी समय से ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों का भी अभाव बना हुआ है। अतः शिक्षकों के पदों को भरे जाने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है और आशा है कि इसे शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जायेगा। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी कार्यरत थे। गत वर्ष मालधनचौड़ एवं बागेश्वर में 2 अतिरिक्त संस्थानों की स्वीकृति दी गयी है और इनकी स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्तमान संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने तथा सूचना तकनीकी आदि से संबंधित नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की कार्यवाही भी की गयी है।

129. आदिम जनजाति समूह (जिसमें बुक्सा एवं राजि जातियां सम्मिलित हैं) तथा अन्य अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए केन्द्र सरकार से क्रमशः रु0 75 लाख एवं रु0 50 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गयी। इसके सापेक्ष आवासों, निजी शौचालयों तथा मिलन एवं प्रशिक्षण/उत्पादन केन्द्रों आदि, के निर्माण के कार्य कराये जा रहे हैं।

130. अभी तक राज्य में केवल एक समेकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए पृथक–पृथक आयोग गठित किये जा चुके हैं।

131. राज्य में अल्पसंख्यक आयोग की व्यवस्था पूर्व में की गयी थी। इसकी सदस्यता में वृद्धि करते हुए आयोग को यथाशीघ्र गठित करने की कार्यवाही की जा चुकी है। राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के विभाजन एवं आस्तियों एवं दायित्वों के हस्तान्तरण की कार्यवाही के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विचार–विमर्श के उपरान्त सहमति हो चुकी है और आशा है कि यथाशीघ्र इस पर केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त हो जायेगी। इसी प्रकार हज कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में "हज हाउस" के निर्माण के लिए भूमि के चिन्हीकरण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण होने के बाद वर्ष 2003–04 में इसके निर्माण पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

132. उत्तरांचल के सन्दर्भ में सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या एवं महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में सैनिक कल्याण निदेशालय की स्थापना एवं पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति तथा जिला स्तर पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्तियों की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, और राज्य में सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद् का गठन भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण निधियों का बंटवारा हो चुका है तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में पत्थरचट्टा फार्म की आस्तियां भी राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं।

133. गत वर्षों में जहां एक ओर, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण विभिन्न नगरीय सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ा है, वहीं नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास आदि के संबंध में पर्याप्त निवेश की कमी रही है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या के क्रम में कूड़ा निस्तारण, प्रदूषण, मार्ग निर्माण, यातायात आदि से संबंधित समस्याओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन का विषय भी, यहां के पर्यावरणीय परिवेश में विशेष महत्व रखता है और इस दिशा में भी पिछले वर्षों में वांछित कार्यवाही नहीं हो पायी है। 74वें संविधान संशोधन के बाद नगर निकायों का वित्त पोषण मुख्यतः राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा संस्तुत डेवोल्यूशन के रूप में ही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं हेतु 'रिवाल्विंग फण्ड' के माध्यम से भी नगर निकायों को धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

134. नगर निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं संसाधन वृद्धि के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं :

- नगरपालिका एवं नगर निगम अधिनियमों में कुछ संशोधन किये जा चुके हैं तथा इनमें और व्यापक संशोधन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।
- नगर एवं क्षेत्र नियोजन से संबंधित एक नये अधिनियम के गठन के प्रस्ताव पर भी इसी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस बीच राज्य एवं जनपद स्तरों पर विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा चुका है।
- राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय क्षेत्रों के लिए रिमोट सेन्सिंग एवं जी0आई0एस0 प्रणाली के आधार पर विस्तृत मानचित्रीकरण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जिसका उपयोग नगरों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना से संबंधित नियोजन, निर्माण एवं अनुश्रवण क्रियाओं में किए जाने के साथ–साथ सम्पत्तियों के मानचित्रीकरण एवं कर आरोपण के लिए किया जायेगा।
- नगर निकायों में वित्तीय प्रबन्धन में मूलभूत सुधार लाये जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- राज्य वित्त आयोग की निकायों को वित्तीय दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने विषयक संस्तुतियों पर विचार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
- विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में ठोस एवं मेडिकल अवशेष निस्तारण (सॉलिड/मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल) के लिए विस्तृत परियोजनाएं गठित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। यथा सम्भव इस हेतु बाह्य श्रोतों से वित्त पोषण प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।
- विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के सुधार एवं नियंत्रण के लिए नीति बनायी जायेगी।

- विभिन्न नगरों, यथा देहरादून, आदि में निजी सेक्टर की सहभागिता से अवस्थापना एवं अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थापना के लिए भी कई परियोजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं, और इस प्रकार की परियोजनाओं के चिन्हीकरण की कार्यवाही लगातार की जायेगी।
- नगर नियोजन एवं शहरी अवस्थापना विकास के विषय पर विचार करने हेतु मंत्री परिषद् की समिति का गठन किया गया है।
- इसी क्रम में नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए एक अवस्थापना निधि स्थापित किये जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

135. नये प्रदेश के गठन के क्रम में बढ़ती हुई चुनौतियों तथा पुनर्गठन के सन्दर्भ में पूरा ढांचा न होते हुए भी प्रदेश में सुचारु शांति व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। यह सन्तोष का विषय है कि सीमित संसाधनों के साथ इस वर्ष लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जा सका। भारत–नेपाल सीमा पर भी लगातार चौकसी रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि सीमा पार सक्रिय माओवादी गतिविधियों का कोई कुप्रभाव राज्य के क्षेत्र में न पड़े। प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुदृढ़ करने के उद्‌देश्य से विभिन्न स्थानों पर चौकियों को थानों के रूप में उच्चीकृत करने व नये थानों/चौकियों की स्थापना की कार्यवाही भी की गयी है। राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की सेवायें भी ली जा रही हैं। गत वर्ष होमगार्ड्स कल्याण कोष की स्थापना भी की गयी है तथा जोखिम भरी ड्यूटियों में लगे स्वयंसेवकों के लिए बीमा योजना भी लागू की गई है।

136. पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र की योजना के अन्तर्गत पुलिस बल के लिए आवासीय व्यवस्था, वाहन, उपकरणों तथा विभिन्न प्रकार की विशिष्ट आवश्यकताओं, यथा स्वान दल, बम डिस्पोजल स्क्वाड आदि की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है।

137. उत्तरांचल की पुलिस व्यवस्था में राजस्व पुलिस का भी अपना एक विशेष स्थान है। अतः इसके सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पुलिस चौकियों के निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के संचार उपकरणों तथा वाहनों की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु, इस वर्ष केन्द्र सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत रु0 68.70 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

138. राज्य में कारागार व्यवस्था को और सुदृढ करने की दिशा में कारागारों के आधुनिकीकरण एवं नये कारागारों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की जेल आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत देहरादून, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत एवं उत्तरकाशी में नई जेलों, राज्य में केन्द्रीय कारागार की स्थापना एवं चमोली, पौड़ी तथा हरिद्वार आदि में जेलों की क्षमता के विकास के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं।

139. उत्तरांचल राज्य दैवी आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। वरूणावत पर्वत त्रासदी व हाल ही में लामबगड आपदा इसके उदाहरण हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा आपदाओं के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन की समेकित व्यवस्थाएं सुनिश्चित

करने के उद्देश्य से माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र का गठन किया गया है और तत्सम्बन्धी संस्थागत ढांचे का भी अनुमोदन किया जा चुका है। केन्द्र के अधीन भू–गर्भिक, पर्यावरणीय, अभियांत्रिकी एवं अन्य महत्वपूर्ण अवयवों की व्यवस्था के साथ–साथ, जी0आई0एस0 प्रणाली का उपयोग एवं सामाजिक तथा आर्थिक विशेषज्ञों का सहयोग लिया जायेगा। इसी क्रम में समस्त जनपदों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं गठित की जा चुकी हैं और संवेदनशील ग्रामों का चिन्हीकरण करते हुए, उनके लिए भी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के गठन तथा प्रशिक्षण आदि की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष की स्थापना भी की जा चुकी है।

140. इसके अतिरिक्त आपदा राहत निधि से संबंधित केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों में उत्तरांचल की विशिष्ट परिस्थितियों के सन्दर्भ में आवश्यक संशोधनों के लिए केन्द्र सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इनका उद्देश्य मुख्यतः बादल फटने व बाढ़ से होने वाले नुकसान तथा क्षतिग्रस्त नहरों से संबंधित कार्यों एवं विशिष्ट प्रकृति के उपकरणों की व्यवस्था निधि के माध्यम से कर सकने से संबंधित है। वरूणावत पर्वत भूस्खलन से प्रभावितों में प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने 14 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता–खर्च हाल में दी है। राहत कार्यों, पुनर्निर्माण कार्यों तथा विस्थापन हेतु रुपया 250.00 करोड़ का मेमोरेण्डम प्रस्ताव पूर्व प्रधान मंत्री जी की घोषणानुसार भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता अग्रिम रूप में 25 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में वरूणावत पर्वत का ट्रीटमेंट कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पड़े सूखे से प्रभावित जनपदों में सूखा राहत कार्यक्रम हेतु रु0 411.92 करोड़ का मांग प्रस्ताव मेमोरेण्डम द्वारा भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके अधीन शीघ्र सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

141. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं अर्थात गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना निर्धनतम परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना तथा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे बेसहारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए अन्नपूर्णा योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का निकट अनुश्रवण किया जा रहा है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार खाद्यान्न सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न अन्य योजनाओं के साथ–साथ इनके विषय में आवश्यक प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को भी इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुए रबी में 0.54 लाख मैट्रिक टन गेहूं तथा खरीफ में अब तक 3.14 लाख मैट्रिक टन चावल का क्रय लेवी योजना के अन्तर्गत किया गया है।

142. मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि चौथे स्तम्भ के रूप में प्रदेश के विकास में प्रेस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से मेरी सरकार विभिन्न स्तरों पर मीडिया से अधिक से अधिक संवाद हेतु प्रयासरत है। निश्चित रूप से मेरी सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास व कल्याणकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने

हेतु प्रेस एवं मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरी सरकार प्रेस एवं मीडिया के अधिकारों के साथ–साथ उनके कल्याण के प्रति भी कटिबद्ध है। पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया जा चुका है। प्रदेश के पत्रकारों को रियायती दर पर शासकीय बसों पर यात्रा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। विभिन्न जनपदों में प्रेस क्लबों की स्थापना हेतु राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। इनके अतिरिक्त मेरी सरकार प्रेस व मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं हेतु भी विचार कर रही है।

143. विधान सभा के सम्मानित सदस्यगण, लगभग तीन वर्ष 9 माह पूर्व हमारे देश की महान संसद ने तथा उसके पहले उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने उत्तरांचल की महान जनता की आकांक्षाओं एवं भावनाओं का समादर करते हुए उत्तरांचल राज्य के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया था। 21वीं सदी के प्रारम्भ में उन सभी उदात्त भावनाओं को बिना किसी भेदभाव के, सामूहिक रूप से, एवं लोकतांत्रिक मर्यादानुकूल कार्यान्वित, करने के दायित्व का निर्वहन करना है। राज्य के सर्वांगीण, चहुंमुखी विकास के कदम इस प्रकार बढ़ाने हैं, जिससे कि हमारा नवोदित प्रदेश महान राष्ट्र के एक अंग के रूप में प्रजातांत्रिक माध्यम से विकास की तेज गति को सुनिश्चित करे तथा नागाधिराज हिमालय की चोटियों तथा गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा की घाटियों में समाहित प्रदेश की गरीबी, बेकारी, और पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्ति के राष्ट्रीय प्रयास में हम अन्य राज्यों के साथ–साथ भागीदारी निर्वहन के अपने नैतिक एवं ऐतिहासिक कर्तव्य का पालन करेंगे। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की सूक्ति को प्रत्येक नागरिक मिलकर साकार करने का प्रयास करे। इसी आह्वान के साथ आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि] विधान सभा के अमूल्य समय का सदुपयोग, सभी नियत कार्यों को सम्पन्न कराने में, आपके नेतृत्व एवं सहयोग से सम्भव हो सकेगा तथा माननीय सदस्यगण विधायी एवं संसदीय कार्यों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए वार्षिक बजट का पारण करेंगे।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2001–2002, (उत्तरांचल सरकार) का प्रतिवेदन

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन नियंत्रक महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2001–2002, (उत्तरांचल सरकार) का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2004

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति

(अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का पहला अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गई और वह उत्तरांचल का वर्ष 2004 का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करती हूं।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 जुलाई, 2004 की बैठक में दिनांक 19 जुलाई, 2004 से दिनांक 22 जुलाई, 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

जुलाई,2004

19, सोमवार	(1) श्री राज्यपाल का अभिभाषण। (प्रातः 11 बजे)
	(2) अध्यक्ष द्वारा अभिभाषण का पाठ। (अपराह्न 3.00 बजे)
20, मंगलवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, प्रस्तुतीकरण तथा चर्चा।
	(2) वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (5.00 बजे)
21, बुधवार	(1) धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।
22, गुरुवार	(1) धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का 03 बजकर 10 मिनट पर मंगलवार दिनांक : 20 जुलाई, 2004 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देहरादून
दिनांक : 19 जुलाई, 2004

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 4 विधान सभा / 366–27–10–2004–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।